सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 24, बुधवार, शाके 1944-मार्च 15, 2023 *Phalguna 24, Wednesday , Saka 1944- March 15, 2023*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, **मार्च** 15, **20**23

संख्या एफ. 13(9)**विशा/विस/**2023/ :-**राजस्थान कारागार विधेयक, 2023** जैसा कि दिनांक **15 मार्च**, 2023 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया**,** सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

महावीर प्रसाद शर्मा**,**
प्रमुख सचिव ।

2023 का विधेयक **सं. 9**

राजस्थान कारागार विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

कारागारों और कारागार अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किये गये बन्दियों से संबंधित विधि को समेकित करने और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कारागार अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सिविल बन्दी" से कोई भी बन्दी, जो आपराधिक बन्दी नहीं है, अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार द्वारा यथा घोषित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सिद्धदोष आपराधिक बन्दी" से कोई भी आपराधिक बन्दी, जो न्यायालय या सेना न्यायालय के दंडादेश के अधीन है, अभिप्रेत है;

(घ) "न्यायालय" में कोई भी अधिकारी, जो विधिपूर्वक सिविल, दाण्डिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करता है, सम्मिलित है;

(ङ) "निरुद्ध" से सुसंगत निवारक विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेशों पर कारागार में निरुद्ध कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अधीन कारागार में निरुद्ध कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(च) "महानिदेशक" से महानिदेशक, कारागार अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त महानिदेशक, कारागार सम्मिलित है;

(छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "उच्च-जोखिम बन्दी" से हिंसा, निकल भागने, आत्म घात करने, उत्पाती व्यवहार की ओर उच्च प्रवृत्ति वाला कोई बन्दी अभिप्रेत है, और जिससे कारागार में अशांति उत्पन्न करने और लोक व्यवस्था को खतरा होने की सम्भावना है और इसमें आंतरायिक रूप से आत्महत्या की प्रवृत्तियों से पीड़ित व्यक्ति और आंतरायिक हिंसक व्यवहार करने वाले पदार्थ संबंधी और व्यसनकारी विकार वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(झ) "चिकित्सा अधिकारी" से सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रूप में घोषित कोई चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(ञ) "चिकित्सीय अधीनस्थ" से सरकार द्वारा यथा नियुक्त कोई अर्हित चिकित्सीय सहायक अभिप्रेत है;

(ट) "पैरोल" से तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन कारागार से किसी बन्दी की सशर्त रिहाई अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "कारागार" से कोई जेल या स्थान अभिप्रेत है, जो सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन बन्दियों को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निरूद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसमें उससे अनुलग्न समस्त भूमियां और भवन सम्मिलित हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं-

(i) ऐसा कोई स्थान, जो अनन्य रूप से पुलिस अभिरक्षा में के बन्दी के परिरोध के लिए है;

(ii) ऐसा कोई स्थान, जो सरकार द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 417 के अधीन, विशेष रूप से घोषित किया गया है; या

(iii) ऐसा कोई स्थान, जिसे सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विशेष कारागार के रूप में घोषित किया गया है।

(ढ) "बन्दी" से सिविल, आपराधिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा, या किसी सेना न्यायालय द्वारा, कारागार अभिरक्षा के लिए सम्यक् रूप से सुपुर्द किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8 या अन्य किसी विधि के उपबंधों के अधीन कारागार में निरुद्ध किया गया है;

(ण) "प्रतिषिद्ध वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है, जिसका किसी कारागार में लाया जाना या वहां से हटाया जाना इस अधिनियम के अधीन किसी नियम द्वारा प्रतिषिद्ध है;

(त) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) "परिहार पद्धति" से कारागार में बंदियों को दिये जाने वाले अंक पुरस्कार, और परिणामत: उनके दंडादेशों को कम करने, को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त नियम अभिप्रेत हैं;

(द) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ध) "अधीक्षक" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा, ऐसे पदाभिधान के साथ जो वह विनिर्दिष्ट करे, किसी कारागार का प्रभारी नियुक्त किया जाता है; और

(न) "विचारणाधीन बन्दी" से ऐसा अभियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे जांच या विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त किये गये हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं किंतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) और राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में परिभाषित किये गये हैं, वही अर्थ होगा, जो उन संहिता/अधिनियमों में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2
कारागारों की स्थापना

3. बन्दियों के लिए वास-सुविधा.- सरकार, अपने राज्य क्षेत्र में के बन्दियों के लिए, ऐसे कारागारों में ऐसी वास-सुविधा जो ऐसी रीति से सन्निर्मित और विनियमित हों, जिससे कि बन्दियों के पृथक्करण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन हो सके, उपलब्ध करायेगी या ऐसे अन्य कारागार ऐसे स्थानों पर, जैसा वह समीचीन समझे, स्थापित भी कर सकेगी और ऐसी दशाओं में अस्थाई या विशेष कारागार स्थापित कर सकेगी।

4. बन्दियों के लिए अस्थायी वास-सुविधा.- जब कभी महानिदेशक को यह प्रतीत होता है कि,-

(क) किसी कारागार में बन्दी उस संख्या से अधिक हैं जितने सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से उसमें रखे जा सकते हैं, और अतिरिक्त संख्या को किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित किया जाना सुविधाजनक नहीं है; या

(ख) किसी कारागार के भीतर किसी महामारी के प्रकोप से, या किसी अन्य कारण से, किसी बन्दी को अस्थायी आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है;

इतने बन्दियों के लिए जितने उस कारागार में सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से नहीं रखे जा सकते हों, अस्थायी कारागारों में उनके आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जैसा कि सरकार निदेश दे, व्यवस्था की जायेगी।

5. बन्दियों का पृथक्करण.- (1) बन्दियों के पृथक्करण के संबंध में इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अध्यपेक्षाएं हैं:-

(क) कारागार में भिन्न-भिन्न लिंग के बन्दियों के लिए पृथक-पृथक उपभवन या वार्ड होंगे;

(ख) विचारणाधीन बन्दी और सिद्धदोष आपराधिक बन्दी एक दूसरे से पृथक-पृथक रखे जाएंगे;

(ग) सिविल बन्दियों को आपराधिक बन्दियों से अलग रखा जायेगा; और

(घ) निरुद्ध व्यक्तियों को समस्त अन्य बन्दियों से अलग रखा जायेगा।

(2) कारागार में बन्दियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए पृथक-पृथक उपभवन या वार्ड होंगे:-

(क) कठोर या उच्च-जोखिम बन्दी;

(ख) संक्रामक/सांसर्गिक रोगों से पीड़ित बन्दी;

(ग) मादक द्रव्यों के व्यसनी बन्दी; और

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी घोषित लोक हेतुक के लिए किये गये अहिंसक सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी दी हो।

6. खुले शिविर.- सरकार, ऐसे स्थानों पर जहां आवश्यक हो, यथा विहित पात्रता रखने वाले सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों के लिए अधिक सुधारपरक और पुनर्वासीय वातावरण में दंडादेश भुगतने के लिए खुले शिविर स्थापित करेगी।

7. अस्थायी कार्य शिविर.- सरकार, सुरक्षा की अपेक्षाओं के अध्यधीन रहते हुए, जुर्माने सहित या उसके बिना तीन वर्ष से कम के कठोर कारावास से दण्डादिष्ट सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों के लिए, अस्थायी कार्य शिविरों की स्थापना कर सकेगी, जहां उन में से कार्य करने के इच्छुकों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो नियमों द्वारा विहित की जायें, अपना दण्डादेश भुगतने के लिए स्थानांतरित किया जा सकेगा।

अध्याय 3

कारागारों के अधिकारी और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य

8. महानिदेशक और अन्य अधिकारी.- (1) सरकार एक महानिदेशक नियुक्त करेगी जो राज्य में स्थित समस्त कारागारों पर साधारण नियन्त्रण और अधीक्षण रखेगा।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने में, महानिदेशक की सहायता करने के लिए महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक कारागार भी नियुक्त कर सकेगी।

9. कारागार के अधिकारी.- प्रत्येक कारागार के लिए एक अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सीय अधीनस्थ, जेलर, कल्याण अधिकारी और अभिरक्षक, चिकित्सीय, सुधारक, तकनीकी, लिपिकवर्गीय, शैक्षिक और सहायक कर्मचारिवृंद होंगे जैसा कि सरकार कारागार के प्रवर्ग, और उसमें परिरुद्ध बन्दियों की संख्या और प्रकृति पर निर्भर करते हुए आवश्यक समझे।

10. कारागारों के अधिकारियों का नियंत्रण और उनके कर्तव्य.- किसी कारागार के समस्त अधिकारी अधीक्षक के निदेशों का पालन करेंगे और जेलर के अधीनस्थ समस्त अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो अधीक्षक की मंजूरी से जेलर द्वारा उन पर अधिरोपित किये जाएं या जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये।

11. अधिकारियों का बन्दियों के साथ कारबार का सम्बन्ध न रखना.- किसी कारागार का न तो कोई अधिकारी, न उसके द्वारा न्यासत: या नियोजित कोई व्यक्ति किसी बन्दी को किसी वस्तु का विक्रय करेगा या किराये पर देगा, या न ही ऐसे विक्रय करने या किराये पर देने का कोई फायदा प्राप्त करेगा, या न ही किसी बन्दी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी धन या अन्य कारबार का व्यवहार रखेगा।

12. अधिकारियों का कारागार-संविदाओं में हितबद्ध न होना.- कारागार का न तो कोई अधिकारी, न उसके द्वारा न्यासत: या नियोजित कोई व्यक्ति, कारागार को प्रदाय के लिए किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित रखेगा और न ही कारागार की ओर से किसी वस्तु के या किसी बन्दी की किसी वस्तु के विक्रय या क्रय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा प्राप्त करेगा।

अधीक्षक

13. अधीक्षक और उसका कारागार परिसर में आवास.- (1) महानिदेशक के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए अधीक्षक अनुशासन, श्रम, व्यय, दण्ड, और नियंत्रण से संबंधित समस्त मामलों में कारागार का प्रबंधन करेगा।

(2) अधीक्षक कारागार परिसर में ही निवास करेगा जब तक कि महानिदेशक उसे अन्यत्र निवास करने की लिखित में अनुज्ञा नहीं दे देता है।

14. अधीक्षक द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख.- अधीक्षक निम्नलिखित अभिलेख रखेगा या रखवाएगा:-

(क) दाखिल किए गए बन्दियों का रजिस्टर;

(ख) ऐसी पुस्तक जिसमें यह दर्शित हो कि प्रत्येक बन्दी को कब छोड़ा जाना है;

(ग) ऐसी दण्ड-पुस्तिका, जिसमें कारागार संबंधी अपराधों के लिए बन्दियों को दिये गये दण्ड की प्रविष्टि की जाती है;

(घ) आगन्तुक पुस्तिका, जिसमें कारागार के प्रशासन से सम्बंधित किन्हीं मामलों के बारे में आगन्तुकों द्वारा किये गये किसी प्रेक्षण की प्रविष्टि की जाती है; और

(ङ) अन्य अभिलेख, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

चिकित्सा अधिकारी

15. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य.- अधीक्षक के नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, चिकित्सा अधिकारी कारागार में निवारक, उपचारात्मक और साधारण स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं के प्रशासन का प्रभार रखेगा, और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

16. कतिपय मामलों में चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाना.- जब कभी चिकित्सा अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी बन्दी के शरीर या मस्तिष्क पर ऐसे अनुशासन या उपचार से, जिसके अध्यधीन कोई बन्दी रखा गया है, हानिकर प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, तब चिकित्सा अधिकारी मामले की रिपोर्ट लिखित में ऐसे प्रेक्षणों सहित, जैसा वह उचित समझे, अधीक्षक को करेगा। अधीक्षक इस रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकेगा या उस पर अपने प्रेक्षणों या आदेशों के साथ रिपोर्ट सूचनार्थ महानिदेशक को भेज सकेगा।

17. बन्दी की मृत्यु पर रिपोर्ट.- (1) किसी बन्दी की मृत्यु हो जाने पर, चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियों का, जहां तक वे अभिनिश्चित की जा सकती हों, अभिलेख तत्काल संधारित करेगा, अर्थात्:-

(क) वह दिन, जिसको मृतक ने पहली बार रुग्णता या चोट की शिकायत की थी या वह रुग्ण अथवा चोटिल देखा गया था;

(ख) वह श्रम, यदि कोई हो, जिस पर उसे उस दिन लगाया गया था;

(ग) उस दिन उसके भोजन का मापमान;

(घ) वह दिन, जिसको उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था;

(ङ) वह दिन, जब चिकित्सा अधिकारी को प्रथम बार रुग्णता या चोट की सूचना दी गयी थी;

(च) रोग और/या चोट की प्रकृति;

(छ) मृतक को उसकी मृत्यु से पहले चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा कब देखा गया था;

(ज) बन्दी की मृत्यु कब हुई; और

(झ) मृत्यु के पश्चात् शरीर की प्रतीति के विवरण के साथ कोई विशेष टिप्पणियां जो कि चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों।

(2) बन्दी की मृत्यु के प्रत्येक मामले में, बन्दी की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर-भीतर, अधीक्षक द्वारा सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, महानिदेशक, कारागार, जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित पुलिस स्टेशन और बन्दी के कुटुम्ब या निकट संबंधी को, तथा बन्दी के विदेशी नागरिक होने की दशा में संबंधित राजदूतावास या उच्च आयोग को भी, मृत्यु की सूचना दी जायेगी।

(3) किसी बन्दी की मृत्यु, जो कि अभिरक्षा में मृत्यु है, को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अधिकथित प्रक्रिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार हैंडल किया जायेगा।

जेलर

18. जेलर के कर्तव्य.- (1) जेलर कारागार के परिसर के भीतर निवास करेगा, जब तक कि अधीक्षक उनको अन्यत्र निवास करने की लिखित अनुज्ञा नहीं दे देता है।

(2) किसी बन्दी की मृत्यु होने पर, जेलर तुरन्त उसकी रिपोर्ट अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ को करेगा।

(3) जेलर सुपुर्दगी-वारण्टों और अन्य समस्त दस्तावेजों के लिए, जो उसकी देख-रेख में विश्वस्तत: रखे गये हैं, तथा बन्दियों से लिये गये धन और अन्य वस्तुओं के अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जेलर बन्दियों के अधिकारों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में कोई भी अतिक्रमण जो उसकी जानकारी में आता है तो उसकी रिपोर्ट लिखित में उसके द्वारा तुरंत अधीक्षक को की जायेगी।

(5) जेलर, अधीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना, रात्रि में कारागार परिसर से अनुपस्थित नहीं रहेगा, किन्तु यदि किसी अपरिहार्य कारणों से किसी रात बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है, तो वह इस तथ्य और अनुपस्थिति के कारण की रिपोर्ट तुरंत अधीक्षक को करेगा।

(6) जहां किसी कारागार के लिए कोई उप जेलर नियुक्त किया जाता है, वहां वह, अधीक्षक के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए सक्षम होगा, और इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम के अधीन जेलर के समस्त उत्तरदायित्वों के अध्यधीन होगा।

19. गेट-हैड वॉर्डर के कर्तव्य.- गेट-हैड वार्डर के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी, या कारागार का वहां उपस्थित कोई अन्य अधिकारी, कारागार में लायी या उसके बाहर ले जायी जाने वाली किसी भी वस्तु की परीक्षा करेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा या तलाशी करवा सकेगा जिसके बारे में यह संदेह है कि वह कोई प्रतिषिद्ध वस्तु कारागार में ला रहा है या कारागार से बाहर ले जा रहा है, या कारागार की किसी सम्पत्ति को बाहर ले जा रहा है, और यदि ऐसी कोई वस्तु या सम्पत्ति पायी जाये तो उसके सम्बन्ध में जेलर को सूचित करेगा।

अध्याय 4

बन्दियों का प्रवेश, हटाया जाना और उन्मोचन

20. कारागार के भारसाधक अधिकारी द्वारा उनकी अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किये गये व्यक्तियों का निरुद्ध रखा जाना.- कारागार का भारसाधक अधिकारी उन समस्त व्यक्तियों को, जो इस अधिनियम के अधीन, या अन्यथा किसी न्यायालय द्वारा किसी रिट, वारण्ट या आदेश, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है, की अत्यावश्यकता के अनुसार उसकी अभिरक्षा में सम्यक् रूप से सुपुर्द किया गया है या जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित नहीं किया जाता है या छोड़ा नहीं जाता है, प्राप्त करेगा और उन्हें निरुद्ध रखेगा।

21. प्रवेश पर बन्दियों की परीक्षा किया जाना.- (1) जब कभी किसी बन्दी का कारागार में प्रवेश होता है तो कर्तव्यारूढ़ जेलर की उपस्थिति में उसकी पूरी तरह तलाशी ली जायेगी और वह कर्तव्यारूढ़ हैड वार्डर या वार्डर द्वारा ली गयी तलाशी से स्वयं का समाधान करेगा और समस्त प्रतिषिद्ध वस्तुएं उससे ले ली जायेंगी:

परन्तु महिला बन्दियों के मामले में तलाशी और परीक्षा महिला कर्मचारिवृंद द्वारा ली जायेगी:

परन्तु यह और कि ऐसे बन्दी जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बतलाते हैं, उनकी तलाशी उनके पसंदीदा लिंग के किसी व्यक्ति द्वारा ली जायेगी।

(2) प्रत्येक बन्दी की, प्रवेश के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, चिकित्सा अधिकारी के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन परीक्षा की जाएगी जो बन्दी के स्वास्थ्य की दशा और उसके शरीर पर के किन्हीं घावों या चिन्हों, यदि उसे कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है तो उस प्रकार के श्रम, जिसके लिए बन्दी उपयुक्त हो, तथा ऐसे अन्य प्रेक्षणों, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी लिखना ठीक समझे, के अभिलेख की प्रविष्टि जेलर द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में करेगा या करायेगा।

(3) ऐसे बन्दियों के प्रवेश के अभिलेख में बन्दी के फोटो सहित उसके बारे में पुलिस से प्राप्त उसकी पृष्ठभूमि की सूचना भी अंतर्विष्ट होगी। प्रवेश अभिलेख ऐसे प्ररूप और रीति से संधारित किया जायेगा, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये।

22. बन्दियों का स्थानान्तरण.- (1) समस्त बन्दियों की, किसी अन्य कारागार में स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व, चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(2) कोई भी बन्दी एक कारागार से दूसरे कारागार में तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित नहीं कर दे कि ऐसा बन्दी ऐसी किसी रूग्णता से मुक्त है जो उसे स्थानान्तरण के लिए अयोग्य बनाती हो।

(3) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रशासनिक, चिकित्सकीय या मानवीय आधारों पर, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, राज्य के भीतर किसी कारागार में परिरुद्ध किसी सिद्धदोष आपराधिक बन्दी का स्थानान्तरण किसी अन्य कारागार में करने का उपबंध कर सकेगी।

23. बन्दियों का अन्तरराज्य स्थानांतरण.- सरकार, किसी बन्दी को, दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की सहमति से, किसी बन्दी के मूल उस राज्य का होने के कारण या सुरक्षा कारणों से उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थानान्तरित कर सकेगी।

24. मृत्यु दण्डादेश के अधीन बन्दी.- (1) मृत्यु दण्डादेश के अधीन के प्रत्येक बन्दी की उसके कारागार में पहुंचने पर तुरंत जेलर द्वारा या उसके आदेश द्वारा तलाशी ली जायेगी और उससे वे समस्त वस्तुएं ले ली जायेंगी, जिन्हें जेलर उसके कब्जे में छोड़ना खतरनाक या असमीचीन समझता है।

(2) ऐसा प्रत्येक बन्दी अन्य समस्त बन्दियों से दूर एक कोठरी में परिरुद्ध किया जायेगा और उसे दिन-रात पहरेदार की निगरानी में रखा जायेगा।

अध्याय 5

बन्दियों का अनुशासन

25. बन्दियों को दूसरों के साथ तथा अलग-अलग रखना.- मृत्यु दण्डादेश के अधीन से भिन्न सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों को, या तो साथ-साथ, या एक-एक को अलग-अलग करके, कोठरियों में या कुछ को एक प्रकार से, और कुछ को दूसरे प्रकार से, परिरुद्ध रखा जा सकेगा।

26. एकांत परिरोध.- कोई भी कोठरी एकांत परिरोध के लिए तब तक उपयोग में नहीं लायी जायेगी जब तक कि उसमें ऐसे साधनों की व्यवस्था न हो जिससे बन्दी किसी भी समय कारागार के किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करने में समर्थ हो सके और किसी कोठरी में चौबीस घंटे से अधिक के लिए इस प्रकार परिरुद्ध प्रत्येक बन्दी को, चाहे परिरोध दण्ड-स्वरूप हो या अन्यथा, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ एक दिन में कम से कम एक बार अवश्य देखने जायेगा।

27. कारागार में अनुशासनिक अपेक्षाओं के बारे में सूचना.- कारागार में बन्दियों के प्रवेश पर उन्हें समझ में आने वाली भाषा में कारागार की अनुशासनिक अपेक्षाओं और उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में सूचित किया जायेगा। ऐसी सूचना बन्दियों की पहुंच में किसी स्थान पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

अध्याय 6

कारागार-अपराध और शास्तियां

28. कारागार-अपराध.- निम्नलिखित कार्य जब वे किसी बन्दी द्वारा किये जायें तब कारागार-अपराध घोषित किये जाते हैं:-

(I) छोटे अपराध,-

(क) कोई कार्य या लोप या कारागार के किसी विनियम की जानबूझकर अवज्ञा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा छोटे अपराध घोषित किया गया है;

(ख) स्वयं को कोई रुग्णता, क्षति या निर्योग्यता कारित करने के आशय से किसी कृत्य का किया जाना या करने से लोप करना और स्वयं को श्रम करने से जानबूझकर निर्योग्य बनाना;

(ग) कारागार अनुशासन को बनाए रखने के लिए सहायता करने में विफल रहना;

(घ) अन्य बन्दियों के साथ झगड़ा करना;

(ङ) बन्दी द्वारा, कारागार संपत्ति या बन्दियों की वस्तुओं और सम्पत्ति की किसी हानि, टूट-फूट या क्षति, जो उससे आकस्मिक रूप से हो गयी है, तत्काल सूचना देने में विफल रहना;

(च) खाना खाने से इंकार करना या भूख हड़ताल करना;

(छ) जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक भोजन नष्ट या खराब करना, या बिना किसी आदेश के उसे फेंक देना;

(ज) कैंटीन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विरचित नियमों और विनियमों का अतिक्रमण करना;

(झ) काम पर आलस्य रखना, लापरवाह या उपेक्षावान होना, कार्य करने से इन्कार करना, बीमारी का बहाना करना और अन्य बन्दियों के काम में या बैरकों में बाधा डालना;

(II) बड़े अपराध,-

(क) कोई कार्य या लोप या कारागार के किसी विनियम की जानबूझकर अवज्ञा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा बड़े अपराध घोषित किया गया है;

(ख) कारागार की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा खतरे में डालना और इसमें कारागार की दीवारों, भवनों, सलाखों, तालों और चाबियों, लैम्पों या लाइटों से या अन्य किसी सुरक्षा और अभिरक्षा अध्युपायों से किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करना सम्मिलित होगा;

(ग) किसी बड़े कारागार अपराध को कारित करने के लिए, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: योजना बनाना, उकसाना या दुष्प्रेरित करना;

(घ) किसी विधिपूर्ण और सद्भावपूर्वक क्रियाकलाप के अनुसरण में, किसी कारागार के पदाधिकारी को सहायता देने में विफल रहना;

(ङ) किसी अन्य पर आक्रमण, हमला करना, और क्षति कारित करना;

(च) किसी बलवे या विद्रोह में भाग लेना, ऐसा करने के लिए किसी अन्य बन्दी को दुष्प्रेरित करना;

(छ) कारागार या विधिक अभिरक्षा से निकल भागना या निकल भागने का प्रयत्न करना;

(ज) विनिषिद्ध वस्तुओं को कब्जे में रखना, छिपाना, तस्करी करना, तस्करी का प्रयत्न करना, अभिप्राप्त करना, देना या प्राप्त करना और वस्तु-विनिमय करना;

(झ) किसी कारागार संपत्ति या बन्दी की वस्तुओं और संपति की चोरी करना या नुकसान कारित करना या नष्ट करना या विद्रूपित करना या दुर्विनियोग करना;

(ञ) पहचान पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना या उन्हें विरूपित करना;

(ट) छुट्टी और आपात रिहाई की शर्त को भंग करना;

(ठ) भोजन या पेय में कुछ ऐसा मिलाना जिससे कि उसके अरुचिकर, अस्वास्थ्यकर या मानवीय उपभोग के लिए खतरनाक होने की संभावना हो;

(ड) कारागार के अधिकारियों की जानकारी या उनकी अनुज्ञा के बिना किसी वस्तु का विनिर्माण करना;

(ढ) किसी अन्य की धार्मिक भावनाओं, विश्वास और निष्ठा को जानबूझकर आहत करना;

(ण) जाति या धार्मिक पूर्वाग्रहों के आधार पर आन्दोलन या कार्य करना;

(त) अप्राधिकृत क्रियाकलापों जैसे जुआ और बाजी लगाने में भाग लेना या आयोजित करना;

(थ) अशिष्ट, गाली-गलौज, असभ्य, धमकी भरी अनुचित भाषा का प्रयोग करना; और

(द) हिंसा, हमला, बलवा, विद्रोह, आक्रमण, घोर व्यक्तिगत हिंसा या किन्हीं अन्य आपात स्थिति को दबाने में कारागार पदाधिकारियों की सहायता करने में विफल रहना, या अन्य व्यक्ति को सहायता करने से निवारित करना।

29. कारागार-अपराधों के लिए दण्ड.- कोई कारागार-अपराध कारित करने पर अधीक्षक द्वारा बन्दियों को निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकेंगे। इन्हें छोटे दण्डों और बड़े दण्डों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

(I) छोटे दण्ड- किसी छोटे अपराध में निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक या इनका संयोजन होगा:-

(क) औपचारिक चेतावनी।

स्पष्टीकरण.- बन्दी से संबंधित किसी मामले या अपराध के लिए औपचारिक चेतावनी को दण्ड नहीं माना जायेगा;

(ख) दस दिवस तक के उपार्जित परिहार का समपहरण; और

(ग) निरोध में बन्दियों को दिये गये विशेषाधिकारों की अधिकतम एक मास की हानि।

(II) बड़े दण्ड- किसी बड़े अपराध में निम्नलिखित दण्डों में से कोई एक या इनका संयोजन होगा:-

(क) निरोध में बन्दियों को दिये गये विशेषाधिकारों की तीन मास से अनधिक की हानि;

(ख) अधिक सुरक्षा वाले कारागारों में स्थानान्तरण और विशेषाधिकारों की पारिणामिक हानि;

(ग) तीस दिवस तक के उपार्जित परिहार का समपहरण;

(घ) बन्दी को पैरोल पर छोड़े जाने के लिए अगली पात्रता की तारीख से प्रारम्भ करते हुए एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए पैरोल के विशेषाधिकारों का स्थगन;

(ङ) आमोद-प्रमोद, कैंटीन, मुलाकात, मजदूरी, कार्य की प्रकृति और परिरोध के स्थान के संबंध में, सुविधाओं को एक मास से तीन मास तक के लिए रोकना या उनमें कमी करना; और

(च) तीन मास से अनधिक की किसी भी कालावधि के लिए पृथक परिरोध:

परन्तु एक मास से अधिक के पृथक परिरोध के दण्ड की पंद्रह दिवस के अन्तराल के बिना, पुनरावृत्ति नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी वृद्ध बन्दी या महिला बन्दी या किसी ऐसे बन्दी को, जो दिव्यांग है, पृथक परिरोध में परिरुद्ध नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- "पृथक् परिरोध" से, श्रम सहित या उसके बिना, ऐसा परिरोध अभिप्रेत है जो किसी बन्दी को अन्य बन्दियों के सम्पर्क से, न कि उनकी दृष्टि से, अलग रखता है और जिसमें उसे प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे के व्यायाम और एक या अधिक अन्य बन्दियों के साथ मिलकर भोजन करने की अनुज्ञा रहती है।

30. कतिपय दण्ड दिये जाने की शर्तें.- (1) अधीक्षक को निम्नलिखित मामलों में, उप महानिरीक्षक, कारागार के पूर्व पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए, इस अध्याय में प्रगणित दण्डों में से कोई भी दण्ड दिये जाने की शक्ति होगी:-

(क) तीस दिवस से अधिक के उपार्जित परिहार का समपहरण;

(ख) एक वर्ष से अधिक के परिहार पद्धति के अधीन विशेषाधिकारों को रोकना; और

(ग) तीस दिवस से अधिक के लिए पृथक परिरोध।

(2) अधीक्षक के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कोई दण्ड दिये जाने की शक्ति नहीं होगी।

(3) पूर्वगामी धाराओं में विनिर्दिष्ट दण्डों से भिन्न कोई दण्ड किसी भी बन्दी पर अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(4) किसी भी बन्दी को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जायेगा।

31. कतिपय दण्डों के अधिरोपण से पूर्व चिकित्सीय परीक्षा.- (1) पृथक परिरोध का दण्ड या अन्य कोई दण्ड, जो किसी बन्दी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता हो, तब तक अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने बन्दी की परीक्षा न कर ली हो और लिखित में यह प्रमाणित न कर दिया हो कि बन्दी उस दण्ड को सहने के योग्य है।

(2) यदि चिकित्सा अधिकारी बन्दी को दण्ड सहने के अयोग्य मानता है तो वह अपनी राय उसी रीति से अभिलिखित करेगा और यह कथन करेगा कि वह बन्दी दिये गये उस प्रकार के दण्ड के लिए पूर्णतया अयोग्य है या कि वह कोई उपान्तरण आवश्यक मानता है। पश्चात्वर्ती मामले में वह इस बात का कथन करेगा कि उसके विचार में स्वास्थ्य को क्षति पहुचाए बिना बन्दी किस सीमा तक दण्ड को सहन कर सकता है।

32. दंड की प्रक्रिया.- (1) किसी भी बन्दी को तब तक दण्डित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध के बारे में उसे लिखित में सूचित नहीं कर दिया गया हो।

(2) किसी भी बन्दी को तब तक दण्डित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) संबंधित बन्दी को दंड के आदेश से लिखित में भी संसूचित किया जाना चाहिए।

(4) अधीक्षक, कारागार-अपराध को साबित करने वाले साक्षियों के नाम, साक्षियों के साक्ष्य का सार, बन्दी की प्रतिरक्षा, जहां आवश्यक हो, और उसके कारणों सहित निष्कर्ष, अभिलिखित करायेगा।

33. अपीलें:- (1) धारा 29 के खण्ड (I) के अधीन किसी बन्दी को लघु शास्ति के आदेश (आदेशों) की अपीलें, बन्दी द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिवस के भीतर-भीतर, संबंधित उप-महानिरीक्षक, कारागार को प्रस्तुत की जा सकेंगी।

(2) धारा 29 के खण्ड (II) के अधीन बड़ी शास्ति के आदेश (आदेशों) की अपीलें, बन्दी द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिवस के भीतर-भीतर, महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेंगी।

34. दण्ड-पुस्तिका में प्रविष्टियां.- (1) दण्ड-पुस्तिका में, दिये गये प्रत्येक दण्ड के संबंध में, बन्दी का नाम, रजिस्टर संख्यांक और वह वर्ग (कि आभ्यासिक है या नहीं) जिससे वह संबंधित है, वह कारागार-अपराध जिसका वह दोषी था, वह तारीख जिसको ऐसा कारागार-अपराध कारित किया गया था, पूर्व के कारागार-अपराधों की संख्या, जो उस बन्दी के विरूद्ध अभिलिखित किये गये हैं, तथा उसके अन्तिम कारागार-अपराध की तारीख, दिया गया दण्ड और दण्ड दिये जाने की तारीख, अभिलिखित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक गंभीर कारागार-अपराध की दशा में अपराध को साबित करने वाले साक्षी का नाम, साक्षियों के साक्ष्य का सार, बन्दी की प्रतिरक्षा, और उसके कारणों सहित निष्कर्ष, अभिलिखित किये जायेंगे।

(3) अधीक्षक और जेलर, प्रत्येक दण्ड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने, प्रविष्टियों के सही होने के साक्ष्य के रूप में, अपने आद्यक्षर करेंगे।

35. कारागार पदाधिकारियों द्वारा अपराध.- प्रत्येक कारागार का अधीक्षक या उसके अधीनस्थ कोई अधिकारी, जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या किसी नियम या विनियम या महानिदेशक द्वारा किये गये विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग करने या उसकी उपेक्षा करने का दोषी होगा, या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा विलग रहेगा, या जो उसे अनुदत्त की गयी किसी छुट्टी से अधिक समय की छुट्टी पर जानबूझकर रहेगा, या जो प्राधिकार के बिना अपने कारागार-कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगेगा, या जो कायरता का दोषी होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, दस हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने, या छह मास से अनधिक की कालावधि के कारावास, या दोनों, का दायी होगा।

अध्याय 7
कारागार से संबंधित अपराध

36. प्रतिषिद्ध वस्तुओं को कारागार में लाने या वहां से हटाने के लिए तथा बन्दियों से सम्पर्क के लिए शास्ति.- जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रतिकूल, कोई प्रतिषिद्ध वस्तु किसी कारागार में लायेगा या वहां से हटायेगा या किसी भी साधन से लाने या हटाने का प्रयत्न करेगा, या किसी कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय करेगा या प्रदाय करने का प्रयत्न करेगा, और कारागार का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृंद का सदस्य, ऐसे नियम के प्रतिकूल ऐसी कोई वस्तु जानबूझकर किसी कारागार में लाये जाने या वहां से हटाये जाने देगा, उसे किसी बन्दी को अपने पास रखने देगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय होने देगा, और जो कोई ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल, किसी बन्दी से सम्पर्क करेगा या सम्पर्क करने का प्रयत्न करेगा, और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास, या जुर्माने, का दायी होगा।

37. धारा 36 के अधीन अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति.- जब कोई व्यक्ति, धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारागार के किसी अधिकारी की उपस्थिति में कारित करता है, तब ऐसा अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा, और अनावश्यक विलम्ब के बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करेगा, और उस पर ऐसा पुलिस अधिकारी इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह अपराध उसकी उपस्थिति में कारित किया गया है।

अध्याय 8
बन्दियों का स्वास्थ्य

38. बीमार बन्दी.- (1) ऐसे बन्दी जो चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ से मिलना चाहते हैं या मस्तिष्क या शरीर से अस्वस्थ प्रतीत होते हैं, ऐसे बन्दियों के प्रभारी अधिकारी द्वारा उनके नाम की रिपोर्ट अविलंब जेलर को की जायेगी।

(2) जेलर, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ का ध्यान अविलंब उस बन्दी की ओर दिलाएगा, जो उससे मिलना चाहता है या जो बीमार है या जिसके मस्तिष्क या शरीर की दशा

ऐसी प्रतीत होती है कि उस पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है और वह ऐसे किसी बन्दी के अनुशासन या व्यवहार के संबंध में परिवर्तनों के बारे में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिये गये उन समस्त लिखित निदेशों को अमल में लायेगा।

39. चिकित्सा अधिकारी के निदेशों का अभिलेख.- किसी बन्दी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए समस्त निदेश, औषधों के प्रदाय संबंधी आदेशों या उन मामलों से संबंधित निदेशों के सिवाय, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं या उसके अधीक्षण के अधीन अमल में लाया जाता है, बन्दी के वृत्त-पत्र में या ऐसे किसी अन्य अभिलेख में, जिसका राज्य सरकार नियम द्वारा निदेश दे, दिन-प्रति-दिन प्रविष्ट किये जायेंगे और जेलर इसके समुचित स्थान पर ऐसी प्रविष्टि करेगा जिसमें प्रत्येक निदेश के सम्बंध में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि निदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है और उसमें ऐसे प्रेक्षण भी, यदि कोई हों, लिखे जायेंगे, जिन्हें लिखना जेलर ठीक समझे और प्रविष्टि की तारीख भी लिखी जाएगी।

40. अस्पताल.- प्रत्येक कारागार में, अस्पताल या बीमार बन्दियों को लेने के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

अध्याय 9
बन्दियों से मुलाकात

41. सिविल और दोषसिद्ध-पूर्व आपराधिक बन्दियों से मुलाकात.- ऐसे व्यक्तियों के, जिनके साथ सिविल या दोषसिद्ध-पूर्व आपराधिक बन्दी सम्पर्क करना चाहते हैं, प्रत्येक कारागार में समुचित समय और दिवस तथा समुचित निर्बंधनों के अधीन, प्रवेश के लिए सम्यक् व्यवस्था की जायेगी, इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जहां तक न्याय के हित में सुसंगत हो, विचारणाधीन बन्दी अपने सम्यक् अर्हित विधि सलाहकारों से किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के बिना मिल सकें।

42. आगंतुकों की तलाशी.- (1) जेलर किसी बन्दी से मुलाकात करने वाले किसी आगंतुक के नाम और पते की मांग कर सकेगा, और जब जेलर के पास संदेह का कोई आधार है, तब किसी आगंतुक की तलाशी ले सकेगा या तलाशी करवा सकेगा, किन्तु ऐसी तलाशी किसी बन्दी या अन्य आगंतुक की उपस्थिति में नहीं ली जाएगी।

(2) ऐसे किसी आगंतुक द्वारा अपनी तलाशी लिये जाने से इंकार करने की दशा में, जेलर उसे प्रवेश देने से इन्कार कर सकेगा; और ऐसी कार्यवाहियों के आधारों को, उनकी विशिष्टियों सहित, ऐसे अभिलेख में प्रविष्ट किया जायेगा, जो सरकार निदिष्ट करे।

43. पत्र.- (1) किसी बन्दी को अपने संबंधियों और मित्रों को ऐसी संख्या में, जो विहित की जाये, पत्र लिखने की सुविधा होगी।

(2) किसी बन्दी को अपने खर्चे पर कितनी भी संख्या में पत्र लिखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) अधीक्षक, बन्दी द्वारा लिखे गये प्रत्येक पत्र की परीक्षा करेगा और संबंधित बन्दी को पत्र के ऐसे किसी हिस्से को, जिससे उसकी राय में राज्य या कारागार की सुरक्षा को खतरे में डालने की सम्भावना हो, या उसमें कारागार के मामलों के बारे में मिथ्या सूचना अन्तर्विष्ट हो, हटाने के लिए कह सकेगा।

(4) अधीक्षक, किसी बन्दी को बाहर से भेजे गये प्रत्येक पत्र की परीक्षा करेगा और उसके ऐसे किसी हिस्से को, जिससे उसकी राय में राज्य या कारागार की सुरक्षा को खतरे में डालने की सम्भावना हो, बन्दी तक पहुंचाने से पूर्व हटा देगा।

(5) पत्र लेखन की सुविधा सदाचरण पर समाश्रित है और दुराचरण होने पर अधीक्षक द्वारा प्रत्याहृत या स्थगित की जा सकेगी।

अध्याय 10

बन्दियों के अधिकार और कर्तव्य

44. बन्दियों के अधिकार.- राज्य में का प्रत्येक बन्दी निम्नलिखित अधिकारों का हकदार होगा:-

(क) मानवीय गरिमा का अधिकार-

किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को, जहां तक वह समीचीन और व्यावहारिक हो,-

(i) शारीरिक और मौखिक हिंसा और गाली गलौच और उत्पीड़न, चाहे कर्मचारिवृंद द्वारा हो या साथी बन्दियों द्वारा हो, से यातना के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार होगा;

(ii) गरिमामय व्यवहार किये जाने का, और समस्त मौलिक अधिकारों के उपभोग का, ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन जो बन्दीकरण के आधार पर आवश्यक हों, हकदार होगा ।

(ख) न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार-

किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि पर्याप्त आहार, स्वास्थ्य, चिकित्सीय देख-रेख और उपचार, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच, व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित और पर्याप्त परिधान सहित स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, की पूर्ति का हकदार होगा।

(ग) संसूचना का अधिकार- कारागार में सुरक्षा, क्षेम और अनुशासन को सम्पूर्ण रूप से ध्यान में रखने और यथा विहित युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को,-

(i) संसूचना का अधिकार होगा, जिसमें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित किसी के कुटुम्ब के सदस्यों, मित्रों से संपर्क सम्मिलित है;

(ii) उसके कारावास के बारे में या अन्य कारागार में स्थानांतरण या किसी गंभीर रुग्णता या क्षति के बारे में उसके कुटुम्ब या संपर्क व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार होगा;

(iii) कुटुम्ब के सदस्यों और वकीलों, जो उसके द्वारा प्रवेश के समय अधीक्षक को अधिसूचित किये जायें, के साथ आवधिक बातचीत और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित संचार मीडिया के माध्यम से बाहरी दुनिया के बारे में संसूचना प्राप्त करने का हकदार होगा।

(घ) विधि तक पहुँच का अधिकार-

किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति,-

(i) पर्याप्त विधिक उपचारों और विधि की सम्यक् प्रक्रिया तक पहुंच का हकदार होगा;

(ii) किसी विधि व्यवसायी से परामर्श करने या प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार होगा;

(iii) विधिक सेवा और विधिक सहायता सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होगा;

(iv) ऊपर उल्लिखित मूल सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के उपबंध में किसी चूक, मनमाना दंड या किसी अन्य मामले, जिसे वह विहित नियमों का उल्लंघन माने, के लिए कारागार प्राधिकारियों को याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा;

(v) प्रतिप्रेषण या विचारण के लिए नियत तारीख को या तो भौतिक रूप से या इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश होने का हकदार होगा।

(ङ) अर्थपूर्ण और लाभप्रद नियोजन का अधिकार-

किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को,-

(i) दंड के अनुसार और कारागार प्रशासन द्वारा व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराये जा सकने वाले कारागार उद्योग में अर्थपूर्ण और लाभपूर्ण नियोजन का अधिकार होगा;

(ii) कारागार में किये गये कार्य के लिए विहित दर और नियमों के अनुसार साम्यापूर्ण मजदूरी संदत्त की जायेगी।

(च) नियत तारीख को रिहा होने का अधिकार-

किसी कारागार में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय के आदेशों और विहित नियमों के अनुसार संगणित नियत तारीख को रिहा किया जायेगा।

45. बन्दियों के कर्तव्य.- प्रत्येक बन्दी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) वह सर्वथा अपने समूहों के साथ, और कारागार के उस भाग के भीतर जहां वे परिरुद्ध हैं, तब तक रहे जब तक कि समुचित प्राधिकारी द्वारा उसे छोड़ने का आदेश न दिया जाये;

(ख) बाहरी व्यक्तियों के साथ कोई संपर्क नहीं रखना;

(ग) अनधिकृत वस्तुएं प्राप्त नहीं करना या कब्जे में नहीं रखना;

(घ) किसी साजिश या षडयंत्र की, और निकल भागने के किसी प्रयास की, या कारागार के किसी बन्दी या अधिकारी पर किसी योजनाबद्ध आक्रमण की, रिपोर्ट करना;

(ङ) कारागार के अधिकारियों की, उन पर किसी आक्रमण की दशा में, सहायता करना;

(च) अपने परिधान, कम्बल, बिस्तर और बर्तन साफ और उचित ढंग से रखना;

(छ) उनको समनुदेशित कार्यों को रजामंदी से और सावधानीपूर्वक करना और किसी भी प्रयोजन के लिए उनको न्यस्त की गयी किसी भी सरकारी संपत्ति की उचित देख-रेख करना;

(ज) अपने व्यवहार में अनुशासित रहना;

(झ) रसोई घर या भोजन परोसने के स्थान से बिना प्राधिकार के रसद न हटाना;

(त्र) उस बिस्तर, वार्ड, यार्ड और उस स्थान पर बने रहना, जो कि उन्हें भोजन या कार्य के समय समनुदेशित किया गया है;

(ट) कारागार के किसी भी भाग में कोई न्यूसेंस कारित नहीं करना;

(ठ) समस्त अधिकारियों का सम्मान करना;

(ड) हड़ताल नहीं करना, किसी अधिकारी या बन्दी पर हमला नहीं करना या धमकी नहीं देना;

(ढ) कारागार के भीतर जुआ या वस्तु-विनिमय या कोई सट्टेबाजी का खेल न खेलना;

(ण) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये समस्त विधिपूर्ण आदेशों और अनुदेशों की पालना करना; और

(त) समस्त कारागार नियमों और विनियमों का पालन करना तथा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों द्वारा अधिरोपित बाध्यताओं का पालन करना।

46. बन्दियों की शिकायतों का निवारण.- (1) बन्दियों से शिकायत प्राप्त किये जाने के प्रयोजन के लिए और ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक कारागार के लिए निम्नलिखित के साथ एक शिकायत निवारण समिति नियुक्त की जा सकेगी, अर्थात:-

(क)	अधीक्षक	:	अध्यक्ष
(ख)	जेलर	:	सदस्य
(ग)	चिकित्सा अधिकारी	:	सदस्य
(घ)	कल्याण अधिकारी	:	सदस्य

(2) प्रत्येक कारागार में केन्द्र स्थित और सुविधाजनक स्थानों पर बन्दियों की आसान पहुंच के भीतर एक या अधिक शिकायत पेटियां स्थापित की जायेंगी।

(3) शिकायत निवारण समिति, बन्दियों की याचिकाओं और अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी याचिकाओं या अभ्यावेदनों की परीक्षा के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जैसा विहित किया जाये।

(4) शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई बन्दी, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, उप महानिरीक्षक, कारागार को अपील कर सकेगा।

(5) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक बन्दी को महानिरीक्षक या जिला और सेशन न्यायाधीश को शिकायत करने के लिए पूर्ण अवसर दिया जायेगा, जो ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए क्रियाविधि विहित करेगा।

अध्याय 11

परिहार, पैरोल और समयपूर्व रिहाई

47. कारावास के दंडादेश में रियायतों का प्रयोजन.- परिहार, पैरोल और समयपूर्व रिहाई की प्रणाली का उपयोग बन्दियों में अनुशासन, आत्मसुधार, कार्यसंस्कृति और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जायेगा। ये रियायतें बन्दी का अधिकार नहीं हैं क्योंकि उन्हें, ऐसी परिस्थितियों के

अधीन जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्याहृत, समपहृत या प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

48. परिहार, दिया जाने योग्य परिहार, पैरोल और दंडादेश को कम करना.- सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिहार, दिया जाने योग्य परिहार, पैरोल और दंडादेश को कम करने के लिए नियम बना सकेगी।

49. कतिपय मामलों में समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने की महानिदेशक की विशेष शक्तियां.- नियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए, महानिदेशक निम्नलिखित प्रवर्गों के सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के लिए किसी भी समय सरकार को सिफारिश कर सकेगा:-

(क) कोई सिद्धदोष जो वृद्धावस्था, गंभीर दुर्बलता, जीर्णता, पूर्ण अन्धता या किसी असाध्य रोग के कारण आगे और अपराध कारित करने के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है और जिसके मामले में आगे और कैद में रखने से किसी भी सामाजिक प्रयोजन के पूरा होने की सम्भावना नहीं है; या

(ख) कोई सिद्धदोष ऐसे रोग से पीड़ित है जो उसके कारागार में बने रहने से घातक सिद्ध होना सम्भाव्य है और यदि उसे रिहा किया जाता है तो उसके ठीक होने की युक्तियुक्त संभावना है; या

(ग) मृत्यु के खतरे में का कोई सिद्धदोष जिसके कारागार के भीतर या बाहर ठीक होने की कोई संभावना नहीं है।

50. विशेष कारणों से बन्दियों की रिहाई:- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार या कोई प्राधिकारी, जिसे सरकार इस निमित्त, किन्ही विशेष कारणों से, अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करे, निदेश दे सकेगा कि किसी बन्दी को, या तो शर्तों के बिना या निदेशों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जो बन्दी स्वीकार करे, पन्द्रह दिवस से अनधिक की कालावधि (यात्राओं के लिए अपेक्षित समय और कारागार से प्रस्थान या वहां पहुंचने के दिवसों को छोड़कर) के लिए रिहा किया जा सकेगा और किसी भी समय उसकी रिहाई रद्द कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी बन्दी की रिहाई के निदेश देने वाला प्राधिकारी, उससे निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक पालन के लिए प्रतिभुओं के साथ या उनके बिना बन्ध-पत्र लिखने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन रिहा किया गया कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन या उसके द्वारा लिखे गये बंध-पत्र के अधीन उस पर अधिरोपित शर्तों में से किसी को पूरा करने में विफल रहता है, तो बंध-पत्र को समपहृत घोषित किया जायेगा और उसके द्वारा बाध्य कोई भी व्यक्ति उसकी शास्ति के संदाय का दायी होगा।

(4) कोई भी बन्दी, सरकार की विशेष मंजूरी के बिना, इस धारा के अधीन तब तक रिहा नहीं किया जायेगा, जब तक कि,-

(क) उसने परिहार सहित अपने दण्डादेश के कम से कम छह मास नहीं काट लिये हों;

(ख) उसका आचरण, उस कारागार जिसमें वह दण्डादेश काट रहा है, के अधीक्षक की राय में समान रूप से अच्छा न रहा हो;

(ग) वह बन्दियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन आभ्यासिक अपराधी नहीं हो; और

(घ) रिहाई का निदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में ऐसे अपराध में, जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया, गंभीर नैतिक अधमता या मानसिक दुराचारिता अन्तर्वलित न हो।

51. क्षमा के लिए अनुशंसित बन्दियों की रिहाई.- उच्च न्यायालय किसी भी मामले में, जिसमें सरकार से किसी बन्दी को क्षमा करने के लिए अनुशंसित किया गया है, उसे अपने स्वयं के मुचलके पर मुक्त किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

52. अस्थायी रिहाई की कालावधि के अवसान पर बन्दियों का अभ्यर्पण.- (1) कोई भी बन्दी जिसे धारा 50 के अधीन रिहा किया गया है, पैरोल की कालावधि के अवसान पर या ऐसे समय से पूर्व, जो सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा निदेशित किया जाए, उस कारागार, जिससे उसे रिहा किया गया था, के प्रभारी अधिकारी के समक्ष स्वयं को अभ्यर्पित करेगा।

(2) कोई बन्दी जो उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित स्वयं को अभ्यर्पित नहीं करता है या किन्हीं अन्य शर्तों, जिन पर उसे रिहा किया गया है, की पालना करने में विफल रहता है, उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर, वह ऐसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दण्डित किया जायेगा।

अध्याय 12

सुधारात्मक पहल

53. सरकार द्वारा बन्दियों के लिए सुधारात्मक क्रियाकलापों के लिए नीति विरचित किया जाना.- सरकार, महिलाओं और युवा बन्दियों सहित बन्दियों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए एक व्यापक नीति बनायेगी।

54. बन्दियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन.- सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारागारों में बन्दियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क)	महानिदेशक, कारागार	अध्यक्ष;
(ख)	संयुक्त सचिव (जेल), गृह विभाग	सदस्य;
(ग)	वित्त विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव	सदस्य;
(घ)	श्रम विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव	सदस्य;
(ङ)	निदेशक, सामाजिक न्याय	सदस्य;
(च)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य;
(छ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले कौशल विकास के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले तीन व्यक्ति	सदस्य;

(ज) महानिरीक्षक, कारागार सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित है जब वह उस विभाग का प्रभारी हो।

55. कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के कृत्य.- कारागारों में बन्दियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

(क) कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की योजना बनाना और क्रियान्वयन करना;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करना;

(ग) उत्पादन की नीति नियत करना;

(घ) कौशल विकास कार्यक्रमों के आर्थिक पहलुओं की परीक्षा करना;

(ङ) कारागार कौशल विकास कार्यक्रमों का ठोस वाणिज्यिक आधार स्थापित करना;

(च) समस्त स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित करना;

(छ) प्रत्येक संस्था द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के संपादन का मूल्यांकन करना;

(ज) उत्पादन के आधुनिक प्रबंधन की कार्य पद्धति और प्रक्रियाओं को लागू करना;

(झ) संस्थागत कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित समस्त मामलों में मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना, निदेशन करना और नियंत्रण करना;

(ञ) उन्मोचित बन्दियों के लिए पश्चात्वर्ती देखरेख गृहों में कार्यशालाएं आयोजित करना; और

(ट) कारागार उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना।

(2) सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के परामर्श से, उसमें प्रशिक्षित होने वाले व्यक्तियों के लिए यथा उपयुक्त कतिपय व्यवसायों की पहचान कर सकेगी ताकि जब वे रिहा हों तो लाभप्रद रूप से नियोजित हो सकें।

56. सिविल बन्दियों का नियोजन.- (1) सिविल बन्दी, अधीक्षक की अनुज्ञा से, और ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधीक्षक अधिरोपित करे, कोई भी कार्य कर सकेंगे और कारागार में उपलब्ध कोई व्यवसाय या वृत्ति कर सकेंगे।

(2) ऐसे सिविल बंदियों को, जिनके पास अपने स्वयं के उपकरण उपलब्ध हों, और जिनका संधारण कारागार के व्यय पर न होता हो उन्हें अपना सम्पूर्ण उपार्जन प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु ऐसे सिविल बन्दियों द्वारा, जिन्हें उपकरण दिये जाते हैं, या जिनका संधारण कारागार के व्यय पर किया जाता है, उपार्जित धन में से ऐसे उपकरणों के उपयोग और संधारण की लागत के कारण उतनी कटौती की जायेगी, जितनी अधीक्षक द्वारा अवधारित की जाये।

57. सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों का नियोजन.- (1) कोई भी आपराधिक बन्दी, जो श्रम पर नियोजित होना चाहता है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों में यथाविहित निर्बंधनों के अध्यधीन, अधीक्षक की अनुज्ञा से नियोजित हो सकेगा।

(2) किसी आपराधिक बन्दी को, जिसे सश्रम दण्डादेश दिया गया है या स्वयं की इच्छा से श्रम पर नियोजित किया गया है, अधीक्षक की लिखित मंजूरी से आपात स्थिति के सिवाय, एक दिन में नौ घंटे से अधिक के लिए श्रम पर नहीं लगाया जायेगा।

(3) चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर श्रम करने वाले बन्दियों की, जब वे काम पर लगे हों, परीक्षा करेगा, और पखवाड़े में कम से कम एक बार श्रम पर नियोजित प्रत्येक बन्दी के वृत्त-पत्र पर ऐसे बन्दी का उस समय का वजन अभिलिखित किया जायेगा।

(4) जब चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि किसी प्रकार या वर्ग के श्रम नियोजन से किसी बन्दी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तब ऐसा बन्दी उस श्रम पर नियोजित नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसे अन्य प्रकार या वर्ग के श्रम पर रखा जायेगा जैसा चिकित्सा अधिकारी उसके लिए उपयुक्त समझे।

58. सादा कारावास से दण्डित सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों का नियोजन.- सादा कारावास से दण्डित समस्त सिद्धदोष आपराधिक बन्दियों के नियोजन (जब तक वो चाहें) के लिए अधीक्षक द्वारा व्यवस्था की जायेगी। ऐसा कोई बन्दी काम की उपेक्षा के लिए दण्डित नहीं किया जायेगा।

59. किसी बन्दी का प्राइवेट कार्य के लिए नियोजन नहीं किया जाना.- कोई भी बन्दी, किसी भी समय, कारागार के किसी भी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राइवेट कार्य या किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे जो भी हो, के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा।

60. रिहाई पश्चात् समायोजन के लिए तैयारी.- प्रत्येक कारागार में, ऐसे सिद्धदोष बन्दियों, जिन्हें एक वर्ष या अधिक के लिए दण्डादेश दिया गया है और जो तीस दिवस के भीतर-भीतर रिहा होने वाले हैं, को पुन: अनुकूल बनाने के लिए रिहाई पूर्व कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए एक पृथक् वार्ड, उन्हें उनकी रिहाई पश्चात् समायोजन के लिए तैयार किये जाने हेतु, निर्धारित किया जायेगा। कार्यक्रम में, उस समुदाय में जहां उनका वापस लौटना आशायित है, एक बन्दी द्वारा सामना किये जाने वाली विशेष समस्याओं और चुनौतियों को संबोधित किया जा सकेगा। इसमें परामर्श, मार्गदर्शन और समुचित सरकार या गैरसरकारी अभिकरण के लिए निर्देश सम्मिलित हो सकेगा।

61. बन्दियों की बाह्य अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन.- कोई बन्दी, जब वह ऐसे किसी कारागार में, या कारागार से, जिसमें वह विधिपूर्वक परिरुद्ध किया जाये, ले जाया जा रहा है, या जब कभी वह ऐसे कारागार के कारागार अधिकारी की विधिपूर्ण अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन ऐसे कारागार की सीमाओं के बाहर कार्य कर रहा है या अन्यथा उन सीमाओं के परे है तब, वह कारागार में ही समझा जायेगा और समस्त निदेशों और अनुशासन के अध्यधीन होगा, मानो वह वस्तुत: कारागार में ही था।

अध्याय 13

कारागारों का निरीक्षण और दौरा

62. निरीक्षण:- (1) उप सचिव, गृह विभाग (जेल) से अनिम्न रैंक के अधिकारी और उप-महानिरीक्षक (कारागार) से अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा, जैसे और जब भी वे अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी कारागार का दौरा करें, अनौपचारिक निरीक्षण किया जायेगा।

(2) किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा, जिसे सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, विस्तृत रूप से औपचारिक निरीक्षण किया जायेगा।

63. आगंतुक बोर्ड की नियुक्ति.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिले में के प्रत्येक कारागार के लिए आगंतुक बोर्ड का गठन करेगी।

(2) आगंतुक बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप में, और शासकीय तथा अशासकीय सदस्य सम्मिलित होंगे, जो विहित किये जायें। अशासकीय सदस्यों को दाण्डिक न्याय प्रणाली के कार्यकर्ताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों और प्रख्यात लोक हितैषी व्यक्तियों में से लिया जायेगा।

(3) आगंतुक बोर्ड, समय-समय पर, अपनी अधिकारिता वाले कारागारों का निरीक्षण और दौरा कर सकेगा।

(4) आगंतुक बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, कारागार का अपना दौरा पूर्ण करने के पश्चात्, आगंतुक पुस्तिका में अपने दौरे की तारीख और समय अभिलिखित करेगा और अभ्युक्तियां या सुझाव देगा, जो वह देना चाहे। आगंतुक पुस्तिका में प्रविष्टियां आगंतुक द्वारा स्वयं के हस्तलेख में की जायेंगी। अधीक्षक, आगंतुक द्वारा अभिलिखित अभ्युक्तियों की प्रति के साथ उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, महानिदेशक को अग्रेषित करेगा जो उस मामले में समुचित आगामी कार्रवाई करेगा।

(5) आगंतुक बोर्ड के अशासकीय सदस्य कारागार के दौरे के लिए प्रति दौरा फीस, जैसी कि विहित की जाये, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अध्याय 14

राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड

64. राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मानव संसाधन विकास, कारागारों का आधुनिकीकरण, खुली और अर्द्ध-खुली संस्थाओं के व्यवस्थापन, समुदाय आधारित सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के साथ सुधारात्मक कार्यक्रमों का संयोजन, और रिहाई पश्चात् पुनर्वास कार्यक्रमों सहित, कारागारों और सहबद्ध सुधारात्मक संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने हेतु, राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क)	प्रभारी मंत्री, कारागार विभाग	अध्यक्ष;
(ख)	प्रभारी शासन सचिव, गृह विभाग (कारागार)	उपाध्यक्ष;
(ग)	पुलिस महानिदेशक	सदस्य;
(घ)	प्रभारी शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	सदस्य;
(ङ)	प्रभारी शासन सचिव; राजस्व विभाग	सदस्य;
(च)	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य;
(छ)	प्रभारी शासन सचिव, महाविद्यालय शिक्षा विभाग	सदस्य;
(ज)	प्रभारी शासन सचिव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य;
(झ)	प्रभारी शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य;

(ञ)	प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य;
(ट)	प्रभारी शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य;
(ठ)	प्रभारी शासन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	सदस्य;
(ड)	प्रभारी शासन सचिव, श्रम विभाग	सदस्य;
(ढ)	निदेशक, अभियोजन	सदस्य;
(ण)	निदेशक, वादकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	सदस्य; और
(त)	महानिदेशक, कारागार	सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

(3) राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड छह मास में कम-से-कम एक बार बैठक करेगा।

(4) बैठकों में गणपूर्ति सहित कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया वह होगी, जैसी कि विहित की जाये।

(5) राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड अपनी सलाह, ऐसी रीति से जैसी कि विहित की जाये, सरकार को अग्रेषित करेगा।

अध्याय 15
विविध

65. हड़तालों का प्रतिषेध आदि.- कारागार में नियोजित किसी भी व्यक्ति को, कारागार के भीतर या बाहर किसी भी प्रयोजन के लिए या हड़ताल करने की कोई मांग करने या उस पर जोर देने के लिए कोई भी संघ बनाने या ऐसे किसी संघ में सम्मिलित होने का, अथवा कोई निवेदन या मांग मनवाने के लिए कारागार के भीतर कोई आंदोलन प्रारंभ करने या जारी रखने का, अधिकार नहीं होगा।

66. आपात-स्थितियों के निवारण और नियन्त्रण के उपाय.- (1) अधीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) और कोई अन्य अधिनियम, जो सुसंगत हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गए समस्त अन्य अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कारागार में आपात स्थितियों को निवारित करने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय करे।

(2) अन्य आपात-स्थितियों के मामलों में भी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी। अधीक्षक परिस्थितियों की रिपोर्ट महानिदेशक को करेगा। किसी भी आपात स्थिति, जैसे हमलों और समरूप स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक कारागार में एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी उनके दौरों या निरीक्षणों के दौरान ऐसी आकस्मिक योजनाओं का पुनर्विलोकन करेंगे।

67. अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग.- इस अधिनियम द्वारा किसी अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित समस्त या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन उसकी अनुपस्थिति में ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त या तो नाम से या उसके शासकीय पदनाम से नियुक्त किया जाये।

68. पुरस्कार और मान्यता.- सरकार, कारागारों के कर्मचारिवृन्द की परिमाणात्मक और गुणात्मक सक्षमता के आवश्यक स्तर को बनाये रखने के लिए, सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार, मान्यता और मूल्यांकन की कोई प्रणाली जो विहित की जाये विकसित करेगी।

69. कर्मचारिवृंद कल्याण निधि.- कर्मचारिवृंद के सदस्यों और उनके परिवारों को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक कल्याण निधि का सृजन किया जा सकेगा। निधि के सृजन और प्रचालन की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

70. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसार सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात द्वारा कारित या कारित होना सम्भाव्य हो, ऐसी हानि या क्षति के सम्बन्ध में सरकार या कारागार के अधिकारियों या कारागार मुख्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

71. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

72. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

73. विनियम बनाने की शक्ति.- सक्षम प्राधिकारी, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

74. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर

सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

75. नियमों की प्रतियों का प्रदर्शन.- इस अधिनियम के अधीन नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं की प्रतियां, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में, ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जायेंगी, जो समस्त बन्दियों और कारागार के भीतर नियोजित व्यक्तियों की पहुंच में हो।

76. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान राज्य में लागू कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम सं. 9) और राजस्थान बन्दी अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 39), इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा और इस निरसित अधिनियमिति के उपबंधों के द्वारा या अधीन की गयी बातें या की गयी कार्रवाई या की गयी समझी गयी बातें या की गयी समझी गयी कार्रवाई (की गयी किसी नियुक्ति या किया गया प्रत्यायोजन, जारी की गयी अधिसूचना, आदेश, निदेश या नोटिस, बनाये गये विनियमों या नियमों को सम्मिलित करते हुए), जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित न कर दी जाये।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारागार प्रबंधन भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि, भारत में समसामयिक कारागार प्रबंधन की नींव ब्रिटिश काल के दौरान रखी गयी थी, इस प्रणाली में वर्षों में अत्यधिक बदलाव हो चुके हैं। भारत के संविधान में निहित मूल अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक तत्वों में समाविष्ट सिद्धान्तों के अलावा, विभिन्न देशों के नवीन विचारों और सुधारात्मक कार्यों ने देश में कारागार सुधारों की संरचना को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।

अब तक कारागारों और बन्दियों का प्रशासन और प्रबंधन कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) और राजस्थान बन्दी अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 39) के उपबंधों के अनुसार किया जाता रहा है। इन अधिनियमों में समय के साथ अनेक संशोधन और उपांतरण किये गये हैं। उक्त अधिनियमों में के कुछ उपबंध अप्रचलित हो गये हैं और विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। उक्त विधान सिद्धदोष बन्दियों को अभिरक्षा में परिरुद्ध करने और दंडित करने के लिए या उनको भविष्य में अपराध कारित करने से रोकने के लिए बनाये गये थे।

भारत में कारागार सुधार बहुत वाद-विवाद की विषय-वस्तु रहे हैं और भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनेक समितियों के लिए संवाद के बिन्दु रहे हैं, किंतु बुनियादी स्तर पर स्थिति निराशाजनक और स्थिर ही रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी न्यूनतम कारागार मानकों और बन्दियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर बल देता है। आज का दण्डशास्त्र कारावास को अपराधियों के पुनर्वास के साधन के रूप में प्रयोग करने पर केन्द्रित है, अपराधियों के लिए कारागार मात्र निरोध गृह नहीं रह गये हैं बल्कि वे अंत:बन्दियों को उनके भावी जीवन के लिए सुधारना चाहते हैं।

यह आश्वस्त होने पर कि कारागारों के स्तरमानों को ऊपर उठाने, बन्दियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने, उनसे दयापूर्वक व्यवहार करने, उनको कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, कारागारों में कल्याण और सुधारात्मक क्रियाकलापों की व्यवस्था करने, और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है, राज्य सरकार ने इस विषय पर एक व्यापक विधान बनाया जाना आवश्यक माना है।

प्रस्तावित विधान, कारागारों और बंदियों से संबंधित विधि को एकल छाते के नीचे समेकित करने के अलावा, सुधारात्मक उपबंध, बंदियों को मूलभूत मानवाधिकारों के हक, बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड के गठन, राज्य सरकार को कारागार प्रबंधन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति, का उपबंध करता है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने और सक्षम प्राधिकारी को विनियम बनाने के लिए, सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**राज्य सरकार के संबंध में (नियम)**
2(ण)	प्रतिषिद्ध वस्तु, जिसे कारागार में लाया या वहां से हटाया नहीं जा सकता, विहित करना;
6	सिद्धदोष आपराधिक बंदियों के लिए पात्रता विहित करना;
7	जुर्माने सहित या उसके बिना तीन वर्ष से कम के कठोर कारावास से दण्डादिष्ट आपराधिक बन्दियों के लिए, अस्थायी कार्य शिविरों की स्थापना विहित करना;
10	जेलर के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्यों को विहित करना;
14(ड.)	अधीक्षक द्वारा रखे जाने या रखवाये जाने वाले अन्य अभिलेख विहित करना;
15	चिकित्सा अधिकारी द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्यों को विहित करना;
21(3)	प्ररुप और रीति, जिसमें बन्दियों के प्रवेश के अभिलेख संधारित किये जायेंगे, विहित करना;
32(2)	दंड के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने के अवसर की प्रक्रिया अधिकथित करना;
34(1)	दण्ड-पुस्तिका में प्रविष्टियों के ब्यौरे विहित करना;
39	किसी बन्दी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय अधीनस्थ द्वारा दिए गए निदेश अन्य अभिलेख में प्रविष्ट किया जाना।
43(1)	बंदी के लिए, उसके संबंधियों और मित्रों को ऐसी संख्या में पत्र लिखने की सुविधा विहित करना;
44(ग)	युक्तियुक्त निर्बंधन, जिनके अध्यधीन प्रत्येक व्यक्ति कारागार में निरुद्ध हो, विहित करना; (i) मित्र, जिनसें व्यक्ति को संसूचना का अधिकार होगा, विहित करना, (iii)संचार मीडिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति बाहरी दुनिया के बारे में संसूचना प्राप्त करेगा, विहित करना;
45	बन्दियों के कर्तव्यों को विहित करना;
46(3)	याचिकाओं या अभ्यावेदनों की परीक्षा के लिए शिकायत निवारण समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करना;

47	परिस्थितियां, जिनके अधीन कारावास के दंडादेश में रियायतों को प्रत्याहृत, समपहृत या प्रतिसंहृत किया जा सके, विनिर्दिष्ट करना;
48	परिहार, दिये जाने योग्य परिहार, पैरोल और दण्डादेश को कम करने के लिए नियम बनाना;
49	सिद्धदोष प्रवर्गों के बंदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए शर्तें नियत करना;
57(1)	निर्बंधन, जिनके अध्यधीन सिद्धदोष आपराधिक बंदी नियोजित किये जा सकेंगे, विहित करना;
63(2)	आगन्तुक बोर्ड के लिए शासकीय और अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति करना;
64(4)	बैठकों में गणपूर्ति सहित कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया विहित करना;
64(5)	रीति, जिसमें राज्य कारागार सलाहकार बोर्ड अपनी सलाह सरकार को अग्रेषित करेगा, विहित करना;
68	कारागारों के कर्मचारिवृन्द की परिमाणात्मक और गुणात्मक सक्षमता के आवश्यक स्तर को बनाए रखने के लिए सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार, मान्यता और मूल्यांकन की प्रणाली विकसित करना;
69	कर्मचारिवृन्द के सदस्यों और उनके परिवार के लिए कर्मचारिवृन्द कल्याण निधि के सृजन और प्रचालन की रीति विहित करना।
72(1)	इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करना;
	सक्षम प्राधिकारी (विनियम)
73	विनियम और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से सुसंगत विनियम बनाना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

कारागारों और कारागार अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किये गये बन्दियों से संबंधित विधि को समेकित करने और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

Bill No. 9 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PRISONS BILL, 2023

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to consolidate the law relating to prisons and prisoners committed to prison custody and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prisons Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "civil prisoner" means any prisoner who is not a criminal prisoner;

(b) "Competent Authority" means the competent authority as declared by the Government;

(c) "convicted criminal prisoner" means any criminal prisoner under sentence of court or court-martial;

(d) "Court" includes any officer lawfully exercising civil, criminal or revenue jurisdiction;

(e) "detenue" means any person detained in prison on the orders of the competent authority under the relevant preventive laws and includes a person detained in prison under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);

(f) "Director General" means the Director General of Prisons and includes Additional Director General of Prisons;

(g) "Government" means the Government of Rajasthan;

(h) "high-risk prisoner" means a prisoner with high propensity towards violence, escape, self-harm, disorderly behaviour, and likely to create unrest in the prison and threat to public order and includes persons intermittently suffering from suicidal tendencies and persons with substance-related and addictive disorders leading to intermittent violent behaviour;

(i) "Medical Officer" means a medical practitioner declared by the general or special orders of the Government to be a medical officer;

(j) "Medical Subordinate" means a qualified medical assistant as appointed by the Government;

(k) "parole" means conditional enlargement of a prisoner from the prison under rules for the time being in force;

(l) "prescribed" means as prescribed by rules;

(m) "prison" means any jail or place used permanently or temporarily under the general or special order of the Government for the detention of prisoners and includes all lands and buildings appurtenant thereto but does not include-

(i) any place for the confinement of the prisoner who are exclusively in the custody of the police;

(ii) any place specially declared by the Government under section 417 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974); or

(iii) any place, which has been declared by the Government by general or special order, to be a special prison.

(n) "prisoner" means any person duly committed to prison custody by a court or authority exercising civil, criminal or revenue jurisdiction, or by a court martial, and includes a person detained in prison under the provisions of Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973, (Central Act No. 2 of 1974) or under any other law;

(o) "prohibited article" means an article the introduction or removal of which into or out of a prison is prohibited by any rule under this Act;

(p) "regulations" means the regulations made by the Competent Authority under this Act;

(q) "remission system" means the rules for the time being in force regulating the award of marks to, and the consequent shortening of sentences of, prisoners in prison;

(r) "rules" means the rules made under this Act;

(s) "Superintendent" means the officer who is appointed by the Government to be in charge of a prison with such designation as it may specify; and

(t) "under trial prisoner" means an accused person who is remanded to judicial custody during inquiry or trial.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code,1860 (Central Act No. 45 to 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973

(Central Act No. 2 of 1974) and the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall have the meanings respectively assigned to them in those Code/Acts.

CHAPTER II

Establishment of Prisons

3. Accommodation for prisoners.- The Government shall provide, for the prisoners in its territory, accommodation in prisons constructed and regulated in such manner as to comply with the requisitions of this Act in respect of the separation of prisoners or may also set up such other prisons at such place as it may consider expedient and may in cases set up temporary or special prison.

4. Temporary accommodation for prisoners.- Whenever it appears to the Director General that,-

(a) the number of prisoners in any prison is greater than can conveniently or safely be kept therein, and it is not convenient to transfer the excess number to some other prison; or

(b) from the outbreak of epidemic disease within any prison, or for any other reason, it is desirable to provide for the temporary shelter and safe custody of any prisoner;

provision shall be made, by such officer and in such manner as the Government may direct, for the shelter and safe custody in temporary prisons of so many of the prisoners as cannot conveniently or safely be kept in the prison.

5. Separation of prisoners.- (1) The requisitions of this Act with respect to the separation of prisoners are as follows:-

(a) there shall be separate annexes or wards in the prison for prisoners belonging to different gender;

(b) under trial prisoners and convicted criminal prisoners shall be kept separately from each other;

(c) civil prisoners shall be kept apart from criminal prisoners; and

(d) detenues shall be kept apart from all other prisoners.

(2) There shall be separate annexes or wards in the prison for the following categories of prisoners:-

(a) hardened or high-risk prisoners;

(b) prisoners suffering from infectious/contagious diseases;

(c) prisoners addicted to drugs; and

(d) persons courting arrest during non-violent socio-political and economic agitation for a declared public cause.

6. Open camps.- The Government shall establish open camps at places, where necessary, for convicted criminal prisoners having eligibility, as may be prescribed, for serving their sentence in more reformative and rehabilitative atmosphere.

7. Temporary work camps.- The Government may, subject to requirements of security, establish temporary work camps for convicted criminal prisoners sentenced to less than three years of rigorous imprisonment with or without fine, where such of those willing to work under conditions as may be prescribed by rules, may be transferred to serve their sentence.

CHAPTER III

Officers of Prisons and their Powers and Duties

8. Director General and other Officers.- (1) The Government shall appoint a Director General, who shall exercise general control and superintendence of all prisons situated in the State.

(2) The Government may also, by notification, appoint Inspector/Deputy Inspector General of Prisons to assist the Director General in exercising powers and performing the functions of Director General under this Act.

9. Officers of the Prison.- For every prison there shall be a Superintendent, Medical Officer, Medical Subordinate, Jailor, Welfare Officer and custodial, medical, correctional, technical, ministerial, educational and supporting staff as the Government thinks necessary depending upon the category of prison, and the number and nature of prisoners confined therein.

10. Control and duties of officers of prisons.- All officers of a prison shall obey the directions of the Superintendent and all officers subordinate to the Jailor shall perform such duties as may be imposed on them by the Jailor with the sanction of the Superintendent or as may be prescribed by rules.

11. Officers not to have business dealings with prisoners.- No officer of a prison shall sell or let, nor shall any person in trust or employed by him sell or let, or derive any benefit from selling or letting, any article to any prisoner or have any money or other business dealings, directly or indirectly, with any prisoner.

12. Officers not to be interested in prison-contracts.- No officer of a prison, nor any person in trust for or employed by him, shall have any interest, direct or indirect, in any contract for the supply to the prison nor shall he derive any benefit, directly or indirectly, from the sale or purchase of any article on behalf of the prison or belonging to a prisoner.

Superintendent

13. Superintendent and his residence in prison premises.- (1) Subject to the orders of the Director General, the Superintendent shall manage the prison in all matters relating to discipline, labour, expenditure, punishment and control.

(2) The Superintendent shall reside in the prison premises unless the Director General permits him in writing to reside elsewhere.

14. Records to be kept by Superintendent.- The Superintendent shall keep, or cause to be kept, thefollowing records:-

(a) a register of prisoners admitted;
(b) a book showing when each prisoner is to be released;
(c) a punishment book for the entry of the punishments inflicted on prisoners for prison-offences;
(d) a visitors book for the entry of any observation made by the visitors touching any matters connected with the administration of the prison; and
(e) other records as may be prescribed by rules.

Medical Officer

15. Duties of Medical Officer.- Subject to the control of the Superintendent, the Medical Officer shall have charge of the administration of preventive, curative and general hygiene and medical services in the prison and shall perform such duties as may be prescribed by rules.

16. Medical Officer to report in certain cases.- Whenever the Medical Officer has reason to believe that the body or mind of a prisoner is, or is likely to be, injuriously affected by the discipline or treatment to which he is subjected, the Medical Officer shall report the case in writing to the Superintendent, together with such observations as he may think proper. The Superintendent may act upon or send the report, with his observations or orders thereon, to the Director General for information.

17. Report on death of prisoner.- (1) On the death of any prisoner, the Medical Officer shall forthwith maintain the record of the following particulars, so far as they can be ascertained, namely:-

(a) the day on which the deceased first complained of illness or injury or was observed to be ill or injured;
(b) the labour, if any, on which he was engaged on that day;
(c) the scale of his diet on that day;
(d) the day on which he was admitted to hospital;
(e) the day on which the Medical Officer was first informed of the illness or injury;
(f) the nature of the disease and/ or injury;
(g) when the deceased was last seen before his death by the Medical Officer or Medical Subordinate;
(h) when the prisoner died; and
(i) an account of the appearances of the body after death, together with any special remarks that appear to the Medical Officer to be required.

(2) In every case of death of a prisoner the intimation of death shall be given by the Superintendent to the Government, National Human Rights Commission, Rajasthan State Human Rights Commission, the Director General of Prisons, the District Magistrate, concerned police station and family or a next of kin of the prisoner and in case of a prisoner being a foreign national to the concerned embassy or high commission also, within twenty four hours of death of a prisoner.

(3) The death of any prisoner, which is a custodial death, shall be handled as per the procedure laid down in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), and the guidelines issued by the National Human Rights Commission from time to time.

Jailor

18. Duties of Jailor.- (1) The Jailor shall reside within the premises of prison, unless the Superintendent permits them in writing to reside elsewhere.

(2) Upon the death of a prisoner, the Jailor shall report immediately to the Superintendent and the Medical Officer or Medical Subordinate.

(3) The Jailor shall be responsible for the safe custody of the records for the commitment warrants and all other documents confided to his care, and for the money and other articles taken from prisoners.

(4) The Jailor shall be responsible for the observance of the rights of prisoners. Any violation in this respect that comes to his notice shall be immediately reported in writing by him to the Superintendent.

(5) The Jailor shall not be absent from the prison premises for a night without permission in writing from the Superintendent, but if absent without leave for a night owing to unavoidable reasons, he shall immediately report the fact and the cause of absence to the Superintendent.

(6) Where a Deputy Jailor is appointed to a prison, he shall, subject to the orders of the Superintendent, be competent to perform any of the duties, and be subject to all the responsibilities of a Jailor under this Act or any rule thereunder.

19. Duties of Gate-Head Warder.- The officer acting as Gate-Head Warder, or any other officer of the prison present there, shall examine anything carried in or out of the prison, and may stop and search or cause to be searched any person suspected of bringing any prohibited article into or out of the prison, or of carrying out any property belonging to the prison, and, if any such article or property be found, shall inform thereof to the Jailor.

CHAPTER IV

Admission, Removal and Discharge of Prisoners

20. Officer Incharge of prison to detain persons committed to their custody.- The officer incharge of a prison shall receive and detain all persons duly committed to his custody under this Act or otherwise by any court according to the exigency of any writ, warrant or order by which such person has been committed or until such person is discharged or released in due course of law.

21. Prisoners to be examined on admission.- (1) Whenever a prisoner is admitted in prison, he shall be searched thoroughly in the presence of the Jailor on duty who will satisfy

himself of the search conducted by duty Head Warder or Warder and all prohibited articles shall be taken from him:

Provided that in the case of women prisoners the search and examination shall be carried out by lady staff:

Provided further that prisoners identifying themselves as transgender shall be searched by a person of their preferred gender.

(2) Every prisoner shall also, as soon as possible after admission, be examined under the general or special orders of the Medical Officer, who shall enter or cause to be entered in a book, to be kept by the Jailor, a record of the state of the prisoner's health, and of any wounds or marks on his person, the class of labour he is fit for if sentenced to rigorous imprisonment, and any observations which the Medical Officer thinks fit to add.

(3) The admission record of such prisoners shall also contain the background information received from the police about the prisoner, together with the photograph. The admission record shall be maintained in such form and manner as may be prescribed by rules.

22. Transfer of prisoners.- (1) All prisoners, prior to being transferred to any other prison, shall be examined by the Medical Officer.

(2) No prisoner shall be transferred from one prison to another unless the Medical Officer certifies that the prisoner is free from any illness rendering him unfit for transfer.

(3) The Government may, by general or special order, provide for the transfer of any convicted criminal prisoner confined in a prison to any other prison within the State on administrative, medical or humanitarian grounds which shall be recorded in writing.

23. Inter State transfer of prisoners.- The Government may, with the consent of the Government of another State or Union Territory, transfer a prisoner to that State or Union Territory being the State of origin of that prisoner or for security reasons.

24. Prisoners under sentence of death.- (1) Every prisoner under sentence of death shall, immediately on his arrival in the prison, be searched by or by order of the Jailor and all articles shall be taken from him, which the Jailor deems it dangerous or inexpedient to leave in his possession.

(2) Every such prisoner shall be confined in a cell away from all other prisoners, and shall be placed by day and by night under the charge of a guard.

CHAPTER V
Discipline of Prisoners

25. Association and segregation of risoners.- The convicted criminal prisoners except prisoners under sentence of death may be confined either in association or individually in cells or partly in one way and partly in the other.

26. Solitary confinement.- No cell shall be used for solitary confinement unless it is furnished with the means of enabling the prisoner to communicate at any time with an officer of the prison, and every prisoner so confined in a cell for more than twenty-four hours,

whether as a punishment or otherwise, shall be visited at least once a day by the Medical Officer or Medical Subordinate.

27. Information about disciplinary requirements in the prison.- On admission, all prisoners shall be informed of disciplinary requirements in the prison and their rights and duties in language comprehensible to them. Such information shall also be displayed at a place accessible to prisoners**.**

CHAPTER VI
Prison Offences and Punishments

28. Prison offences.- The following acts are declared to be prison offences when committed by a prisoner:-

(I) Minor offences,-

(a) any act or omission or wilful disobedience to any regulation of the prison as have been declared by rules made under this Act;
(b) doing or omitting to do any act with intent to cause to oneself any illness, injury or disability and wilfully disabling himself from labour;
(c) failing to assist in the maintenance of prison discipline;
(d) quarrelling with other prisoners;
(e) failing to report at once any loss, breakage or injury, which the prisoner may accidentally have caused, to prison property or prisoners' articles and property;
(f) refusing to eat food or going on a hunger strike;
(g) wilfully or negligently destroying or spoiling food or throwing it away without orders;
(h) violating rules and regulations framed for the systematic running of the canteen; and
(i) being idle, careless or negligent at work, refusing to work, malingering and disturbing other prisoners, at work, or in barracks;

(II) Major Offences,-

(a) any act or omission or wilful disobedience to any regulation of the prison as have been declared by rules made under this Act;
(b) endangering the security of the prison in any way, by a wilful or negligent act and shall include tampering in any way with prison walls, building, bars, locks and keys, lamps or lights or with any other security and custody measure;
(c) planning, instigating or abetting, directly or indirectly, the commission of any major prison offence;
(d) failing to give assistance to a prison official when called to do so, in pursuance of any lawful and bonafide activity;
(e) attacking, assaulting, and causing injuries to others;
(f) participating in a riot or mutiny, abetting another prisoner to do the same;
(g) escaping or attempting to escape from prison or legal custody;
(h) possessing, hiding, smuggling, attempting to smuggle, obtaining, giving or receiving and bartering contraband articles;
(i) stealing or damaging or destroying or disfiguring or misappropriating any prison property or prisoner articles and property;

(j) tampering with or defacing identity cards, records or documents;
(k) breach of the condition of leave and emergency release;
(l) introducing into food or drink anything likely to render it unpalatable, unwholesome, or dangerous for human consumption;
(m) manufacturing any article without the knowledge or permission of officers of the prison;
(n) wilfully hurting other's religious feelings, beliefs and faiths;
(o) agitating or acting on the basis of caste or religious prejudices;
(p) participating in, or organising, unauthorised activities like gambling and betting;
(q) using indecent, abusive, insolent, threatening of improper language; and
(r) failing to assist, or preventing other person from assisting prison officials in suppressing violence, assault, riot, mutiny, attack, gross personal violence or any other emergencies.

29. Punishment for prison offences.- The following punishment (s) may be awarded by the Superintendent to prisoners for committing any prison offence. These are classified into minor punishments and major punishments:-

(I) Minor Punishments- A minor offence shall be dealt with any one or combination of the following punishment:-

(a) formal warning.

Explanation.- A formal warning shall not be treated as punishment for any matter or offence relating to the prisoner;

(b) forfeiture of earned remission upto ten days; and
(c) loss of privileges given to the prisoners in detention for a maximum of one month.

(II) Major Punishments- A major offence shall be dealt with any one or combination of the following punishment:-

(a) loss of privileges given to the prisoners in detention not exceeding three months;
(b) transfer to greater security prisons and consequent loss of privileges;
(c) forfeiture of earned remission upto thirty days;
(d) postponement of privileges of parole for a period not exceeding one year starting from the date of the prisoner’s next eligibility for release on parole;
(e) stoppage or reduction of facilities in respect of recreation, canteen, interviews, wages, nature of work and place of confinement for one month to three months; and
(f) separate confinement for any period not exceeding three months:

Provided that no punishment of separate confinement exceeding one month shall be repeated without a gap of fifteen days:

Provided further that no geriatric prisoner or woman prisoner or a prisoner who is handicapped shall be confined to separate confinement.

Explanation.- “separate confinement” means such confinement with or without labour as secludes a prisoner from communication with, but not from sight of, other prisoners, and allows him not less than one hour's exercise per day and to have his meals in association with one or more other prisoners.

30. Conditions to award certain punishments.- (1) The Superintendent shall have power to award any of the punishments enumerated in this Chapter, subject to prior confirmation of Deputy Inspector General of Prisons in the following cases:-

(a) forfeiture of earned remission for more than thirty days;
(b) stoppage of privileges under system of remission for more than one year; and
(c) separate confinement for more than thirty days.

(2) No officer subordinate to the Superintendent shall have power to award any punishment.

(3) No punishment other than the punishments specified in the preceding sections shall be inflicted on any prisoner.

(4) No prisoner shall be punished twice for the same offence.

31. Medical examination before inflicting certain punishments.- (1) The punishment of separate confinement, or any other punishment that may be prejudicial to the physical or mental health of a prisoner, may not be inflicted unless the Medical Officer has examined the prisoner and certified in writing that the prisoner is fit to sustain it.

(2) If the Medical Officer considers the prisoner unfit to undergo the punishment, he shall in like manner record his opinion in writing and shall state whether the prisoner is absolutely unfit for punishment of the kind awarded, or whether he considers any modification necessary. In the later case he shall state what extent of punishment he thinks the prisoner can undergo without injury to health.

32. Procedure of punishment.- (1) No prisoner shall be punished unless he has been informed of the offence alleged against him in writing.

(2) No prisoner shall be punished unless he has been given an opportunity of presenting his defence in accordance with as the procedure laid down in rules.

(3) The order of punishment should also be communicated in writing to the concerned prisoner.

(4) The Superintendent shall cause to record the names of witnesses proving the prison offence, the substance of the evidence of witnesses, the defence of the prisoner where necessary, and the findings with the reasons thereof.

33. Appeals.- (1) Appeals from the order(s) of minor penalty to a prisoner under clause (I) of section 29 may be presented to concerned Deputy Inspector General of Prisons within thirty days from the receipt of the order by the prisoner.

(2) Appeals from the order(s) of major penalty under clause (II) of section 29 may be presented before the Director General within thirty days from the receipt of the order by the prisoner.

34. Entries in punishment book.- (1) In the punishment book, there shall be recorded, in respect of every punishment inflicted, the prisoner's name, register number and the class (whether habitual or not) to which he belongs, the prison offence of which he was guilty, the date on which such prison offence was committed, the number of previous prison offences recorded against the prisoner, and the date of his last prison offence, the punishment awarded, and the date of infliction.

(2) In the case of every serious prison offence, the name of witness proving the offence, the substance of the evidence of the witnesses, the defence of the prisoner, and the finding with the reasons therefor shall be recorded.

(3) Against the entries relating to each punishment the Superintendent and Jailor shall affix their initials as evidence of the correctness of the entries.

35. Offences by prison officials.- Every Superintendent or officer of a prison subordinate to him who shall be guilty of any violation of duty or wilful breach, or neglect of any rule or regulation, or lawful order made by Director General, or who shall withdraw from the duties of his office without permission, or who shall wilfully overstay any leave granted to him, or who shall engage without authority in any employment other than his prison duty, or who shall be guilty of cowardice, shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding ten thousand rupees, or to imprisonment for a period not exceeding six months or to both.

CHAPTER VII
Offences in Relation to Prisons

36. Penalty for introduction or removal of prohibited articles into or from prison and communication with prisoners.- Whoever, contrary to any rules made under this Act introduces or removes or attempts by any means whatever to introduce or remove, into or from any prison, or supplies or attempts to supply to any prisoner outside the limits of a prison, any prohibited article, and every officer or member of staff of a prison who, contrary to any such rule, knowingly suffers any such article to be introduced into or removed from any prison, to be possessed by any prisoner, or to be supplied to any prisoner outside the limits of a prison, and whoever, contrary to any such rule, communicates or attempts to communicate with any prisoner, and whoever abets any offence made punishable by this section, shall, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or with fine.

37. Power to arrest for offence under section 36.- When any person, in the presence of any officer of a prison, commits any offence specified under section 36, such officer may arrest him, and, shall without unnecessary delay make him over to a police officer and thereupon such police officer shall proceed as if the offence has been committed in his presence.

CHAPTER VIII

Health of Prisoners

38. Sick prisoners.- (1) The names of prisoners desiring to see the Medical Officer or Medical Subordinate or appearing out of health in mind or body shall, without delay, be reported by the officer-in-charge of such prisoners, to the Jailor.

(2) The Jailor shall, without delay, call the attention of the Medical Officer or Medical Subordinate to any prisoner desiring to see him, or who is ill, or whose state of mind or body appears to require attention, and shall carry into effect all written directions given by the Medical Officer or Medical Subordinate respecting alterations of the discipline or treatment of any such prisoner.

39. Record of directions of Medical Officer.- All directions given by the Medical Officer or Medical Subordinate in relation to any prisoner, with the exception of orders for the supply of medicines, or directions relating to such matters as are carried into effect by the Medical Officer himself or under his superintendence, shall be entered day by day in the prisoner's history-ticket, or in such other record as the Government may by rule direct, and the Jailor shall make an entry in its proper place stating in respect of each direction the fact of its having been or not having been complied with, accompanied by such observations, if any, as the Jailor thinks fit to make, and the date of the entry.

40. Hospital.- In every prison an hospital or proper place for the reception of sick prisoners shall be provided.

CHAPTER IX

Visits to Prisoners

41. Visits to civil and unconvicted criminal prisoners.- Due provision shall be made for the admission, at proper times and days and under proper restrictions, into every prison of persons with whom civil or unconvicted criminal prisoners may desire to communicate, care being taken that so far as may be consistent with the interests of justice, prisoners under trial may see their duly qualified legal advisers without the presence of any other person.

42. Search of visitors.- (1) The Jailor may demand the name and address of any visitor to a prisoner, and, when the Jailor has any ground for suspicion, may search any visitor, or cause him to be searched,but the search shall not be made in the presence of any prisoner or of another visitor.

(*2*) In case of any such visitor refusing to permit himself to be searched, the Jailor may deny him admission; and the grounds of such proceeding, with the particulars thereof, shall be entered in such record as the Government may direct.

43. Letters.- (1) A prisoner shall have the facility of writing such number of letters to his relatives and friends as may be prescribed.

(2) A prisoner may be allowed to write any number of letters at his cost.

(3) The Superintendent shall examine every letter written by a prisoner and may ask the prisoner concerned to delete any portion of the letter which, in his opinion, is likely to

endanger the security of the State or prison or contains false information about the affairs of the prison.

(4) The Superintendent shall examine every letter sent to any prisoner from outside and delete any portion thereof which, in his opinion, is likely to endanger the security of the State or prison before it is delivered to the prisoner.

(5) The facility of writing letters is contingent on good conduct and may be withdrawn or postponed by the Superintendent on bad conduct.

CHAPTER X

Rights and Duties of Prisoners

44. Rights of Prisoners.- Every prisoners in the State shall be entitled to the following rights:-

(A) Right to Human Dignity-

Every person detained in any prison shall as far as it may be expedient and practical,-

(i) have the right to protection against torture, from physical and verbal violence and abuse and harassment, whether by staff or by fellow prisoners;

(ii) be entitled to be treated with dignity and will enjoy all the fundamental rights subject to such restrictions as may be necessary by virtue of the incarceration.

(B) Right to Basic Minimum Needs-

Every person detained in any prison shall be entitle to fulfillment of basic minimum needs such as adequate diet, health, medical care and treatment, access to clean and adequate drinking water, access to clean and hygienic living conditions including personal hygiene, proper and adequate clothing.

(C) Right to Communication-

Every person detained in any prison shall subject to overall considerations of security, safety and discipline in the prison and reasonable restrictions as prescribed,-

(i) have the right to communication which includes contact with one's family members, friends as prescribed by the rules made under this Act;

(ii) right to inform his family or any other person designated as contact person, about his imprisonment or transfer to another prison or about any serious illness or injury;

(iii) be entitled to periodic interviews with family members and lawyers, who are notified to the Superintendent at the time of admission by him and to

receive information about the outside world through communication media as prescribed by the rules made under this Act.

(D) Right to Access to Law-

Every person detained in any prison shall,-

(i) be entitled to have adequate legal remedies and access to due process of law;

(ii) have the right to consult or to be defended by a legal practitioner;

(iii) have right to access legal service and legal aid services;

(iv) be entitled to petition to the prison authorities for any lapse in the provision of basic amenities and facilities mentioned above, arbitrary punishment or any other matter which he perceives to be violative of prescribed rules;

(v) be entitled to be produced before the court on the date fixed for his remand or trial either physically or through electronic method.

(E) Right to Meaningful and Gainful Employment-

Every person detained in any prison shall,-

(i) have a right to meaningful and gainful employment in the prison industry according to the sentence and as far as can be feasibly provided by the Prison Administration;

(ii) be paid equitable wages for the work done in prison as per the prescribed rate and rules.

(F) Right to be released on the due date-

Every person detained in any prison shall be released on the due date calculated as per the court orders and the prescribed rules.

45. Duties of Prisoners.- It shall be the duty of each prisoner-

(a) to remain strictly with their groups and within the part of the prison in which they are confined, unless ordered by proper authority to leave it;
(b) not to hold any communication with outsiders;
(c) not to receive or possess unauthorized items;
(d) to report any plot or conspiracy and any attempt to escape, or any planned attack upon any prisoner or officer of the prison;
(e) help the officers of prison in the event of any attack upon them;
(f) keep their cloths, blankets, beddings, and utensils clean and in proper order;
(g) perform their assigned task willingly and carefully and take proper care of any property of Government entrusted to them for any purpose;

(h) to be orderly in their behaviour;
(i) not to remove provisions from the kitchen or food servicing platforms without authority;
(j) to stick to the bed, ward, yard, and the seat assigned to them while at meals or at work;
(k) not to commit any nuisance in any part of the prison;
(l) to show respect to all officers;
(m) not to strike, assault or threaten any officer or prisoner;
(n) not to gamble or barter or play any speculating game within the prison;
(o) to obey all lawful orders and instructions issued by competent authorities; and
(p) to abide by all prison rules and regulations and perform obligations imposed by the rules and regulations made under this Act.

46. Redressal of grievances of prisoners.- (1) For the purpose of receiving grievances from the prisoners and for the redressal of any such grievance, a Grievance Redressal Committee may be appointed for each prison with the following, namely:-

(a) Superintendent	:	Chairperson
(b) Jailor	:	Member
(c) Medical Officer	:	Member
(d) Welfare Officer	:	Member

(2) There shall be one or more complaint boxes in every prison installed in centrally located and convenient places, within easy reach of the prisoners.

(3) The Grievance Redressal Committee shall meet at least once a month to deal with petitions and representations from prisoners and it shall follow such procedure for the examination of such petitions or representations as may be prescribed.

(4) Any prisoner aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee may appeal to the Deputy Inspector General of Prisons within thirty days from the date of communication of such decision.

(5) Notwithstanding anything hereinbefore contained, every prisoner shall be afforded full opportunity to make a complaint to the Inspector General or the District and Sessions Judge, who shall prescribe a mechanism for the redressal of such complaints.

CHAPTER XI

Remission, Parole and Premature Release

47. Purpose of concessions in sentence of imprisonment.- The system of remission, parole and premature release shall be used to encourage discipline, self-improvement, work-culture and reformation among prisoners. These concessions are not a right of the prisoner as the same can be withdrawn, forfeited or revoked under circumstances as may be specified in rules made under this Act.

48. Remission, remission rewardable, parole and shortening of sentence.- The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for remission, remission rewardable, parole and shortening of sentence.

49. Special Powers of Director General to recommend premature release in certain cases.- The Director General may at any time recommend to the Government for premature release, of the following categories of convicted prisoners subject to the fulfillment of conditions stipulated in rules:-

(a) a convict who owing to old age, serious infirmity, decrepitude, complete blindness or an incurable disease is permanently incapacitated to commit further crime and in whose case no social purpose is likely to serve by further incarceration; or
(b) a convict suffering from a disease likely to prove fatal if he remains in the prison and for whom there is a reasonable chance of recovery if he is released; or
(c) a convict in danger of death with no chance of recovery within or outside the prison.

50. Release of prisoners for special reason.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government or any authority to which the Government may delegate its powers in this behalf, for any special reasons, may direct that a prisoner may be released for a period not exceeding fifteen days (excluding the time required for journeys and the days of departure from or arrival at the prison) either without conditions or upon such conditions specified in the direction as the prisoner accepts and may at any time cancel his release.

(2) The authority directing the release of any prisoner under sub-section (1) may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) lf any person released under sub-section (1) fails to fulfill any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or under the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

(4) No prisoner shall without the special sanction of the Government, be released under this section, unless,-

(a) he has served at least six months of his sentence including remissions;
(b) his conduct has been, in the opinion of the Superintendent of the prison in which he is serving his sentence, uniformly good;
(c) he is not a habitual criminal under the rules made under any law relating to prisons for the time being in force; and
(d) the offence for which he has been convicted does not, in the opinion of the authority directing release, involve grave moral turpitude or mental depravity.

51. Release of prisoners recommended for pardon.- The High Court may, in any case in which it has recommended to the Government the granting of a free pardon to any prisoner, permit him to be at liberty on his own recognizance.

52. Surrender of prisoners on the expiry of the period of temporary release.- (1) Any prisoner released under section 50 shall surrender himself to the officer incharge of the prison from which he was released, on the expiry of the period of parole or at such earlier time as he may be directed by the Government or any authority empowered by it in this behalf.

(2) Any prisoner who does not surrender himself as required by sub-section (1) or fails to comply with any other conditions upon which he is released, may be arrested by any police officer without a warrant and shall be liable upon conviction to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine.

CHAPTER XII

Correctional Initiatives

53. Government to frame policy for correctional activities for prisoners.- The Government shall formulate a comprehensive policy for the care, protection, treatment, education, skill development programme, training and rehabilitation of prisoners including women and young prisoners.

54. Constitution of Board of Skill Development Programme and Vocational Training for prisoners.-The Government shall, by notification in the Official Gazette constitute a Board of Skill Development Programme and Vocational Training for prisoners in prisons which shall comprise of the following, namely:-

(a)	Director General of Prisons	Chairperson;
(b)	Joint Secretary (Jail), Department of Home	Member;
(c)	Joint Secretary, nominated by Secretary-In-Charge, Department of Finance	Member;
(d)	Joint Secretary, nominated by Secretary-In-Charge, Department of Labour	Member;
(e)	Director, Social Justice	Member;
(f)	Director, Technical Education	Member;
(g)	three persons having specialized knowledge in field of skill development to be nominated by the Government	Members;
(h)	Inspector General of Prisons	Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "Secretary in-charge" means the Secretary in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

55. Functions of the Board of Skill Development Programme and Vocational Training.- The functions of the Board of Skill Development Programme and Vocational Training for prisoners in prisons shall be,-

(a) to plan and implement programmes of skill development and vocational training;
(b) to arrange funds required to run such programmes;
(c) to fix a policy of production;
(d) to examine the economic aspects of the skill development programmes;
(e) to put prison skill development programmes on a sound commercial footing;

(f) to ensure coordination at all levels;
(g) to evaluate the performance of the skill development programme by each institution;
(h) to introduce practices and procedures of modern management of production;
(i) to guide, supervise, direct and control all matters relating to institutional skill development programmes and vocational training;
(j) to organize workshops in after-care homes for discharged prisoners; and
(k) to promote marketing of prison products.

(2) In consultation with the Department of Skill Development and Entrepreneurship, the Government may identify certain trades as suitable for the persons to be trained in, so that once they are released they may be gainfully employed.

56. Employment of civil prisoners.- (1) Civil prisoners may, with the permission of Superintendent, and subject to such restrictions as the Superintendent may impose, work and follow any trade or profession available in prison.

(2) Civil prisoners finding their own implements, and not maintained at the expense of the prison, shall be allowed to receive the whole of their earnings, but the earnings of such as are furnished with implements or are maintained at the expense of the prison shall be subject to deduction, to be determined by the Superintendent for the use of implements and the cost of maintenance.

57. Employment of convicted criminal prisoners.- (1) A criminal prisoner desiring to be employed on labour, may be employed with the permission of the Superintendent subject to such restrictions as may be prescribed in the rules made under this Act.

(2) No criminal prisoner sentenced to labour or employed on labour at his own desire shall, except on an emergency with the sanction in writing of the Superintendent, be kept to labour for more than nine hours in any one day.

(3) The Medical Officer shall from time to time examine the labouring prisoners while they are employed, and shall at least once in every fortnight cause to be recorded upon the history ticket of each prisoner employed on labour the weight of the such prisoner at the time.

(4) When the Medical Officer is of the opinion that the health of any prisoner suffers from employment on any kind or class of labour, such prisoner shall not be employed on that labour but shall be placed on such other kind or class of labour as the Medical Officer may consider suited for him.

58. Employment of convicted criminal prisoners sentenced to simple imprisonment.- Provision shall be made by the Superintendent for the employment (as long as they so desire) of all convicted criminal prisoners sentenced to simple imprisonment. No such prisoners shall be punished for neglect of work.

59. No Prisoner to be Employed for Private Work.- No prisoner shall, at any time, be employed by any officer of the prison, or any other person, for any private work or service of any kind whatsoever.

60. Preparation for post release adjustment.- A separate ward shall be earmarked in each prison for organization of pre-release programmes to reorient those convicted prisoners who have been sentenced to one year or more and who are due for release within thirty days, in order to prepare them for their post-release adjustment. The programme may

address specific problems and challenges to be faced by individual prisoners in the community they are expected to return to. It may include counseling, guidance and referral to appropriate Government or Non-government agency.

61. Extramural custody, control and employment of prisoners.- A prisoner, when being taken to or from any prison in which he may be lawfully confined, or whenever he is working outside or is otherwise beyond the limits of any such prison in or under the lawful custody or control of a prison officer belonging to such prison, shall be deemed to be in prison and shall be subject to all directions and discipline as if he were actually in prison.

CHAPTER XIII

Inspection and Visit Prisons

62. Inspection.- (1) Informal inspections are to be conducted by the officer not below the rank of Deputy Secretary Department of Home (Jail) and the officer not below the rank of Deputy Inspector General (Prisons) as and when they visit a prison while discharging their official duties.

(2) Formal inspection shall be carried out in detail by an Inspecting Officer as may be designated by the Government.

63. Appointment of Board of visitors.- (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Board of Visitors, for each prison in the district.

(2) The Board of visitors shall consist of the District Magistrate as Chairperson, and official and non-official members as may be prescribed. The non-official members shall be drawn from amongst functionaries of criminal justice system, social scientists and eminent public-spirited individuals.

(3) The Board of visitors may, from time to time, carry out the inspection and visit to the prisons of their jurisdiction.

(4) Every member of the Board of visitors, after he has completed his visit to prison, shall record in the visitor's book the date and hour of his visit and remarks or suggestions which he may like to make. Entries in the visitor's book shall be made in the visitor's own handwriting. The Superintendent shall forward a copy of the remarks recorded by the visitor together with a report on action taken by him to the Director General, who may take appropriate further action in the matter.

(5) The non-official members of the Board of visitors shall be entitled to receive visiting fee per visit for visit to prison, as may be prescribed.

CHAPTER XIV

State Advisory Board for Prisons

64. State Advisory Board for Prisons.- (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette appoint a State Advisory Board for Prisons for advising the Government

on matters relating to the management of prisons and allied correctional institutions, including human resource development, modernization of prisons, organization of open and semi-open institutions, linkage of correctional programmes with community based Government and Non-Government Organizations, and post release programmes of rehabilitation.

(2) The State Advisory Board for Prisons shall comprise of the following, namely:-

(a)	Minister in-charge, Department of Prisons	Chairperson;
(b)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Home (Prisons)	Vice-Chairperson;
(c)	Director General of Police	Member;
(d)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Law and Legal Affairs	Member;
(e)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Revenue	Member;
(f)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance	Member;
(g)	Secretary to the Government in-charge of the Department of College Education	Member;
(h)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Primary and Secondary Education	Member;
(i)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Technical Education	Member;
(j)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Medical and Health	Member;
(k)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Industry	Member;
(l)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Social Justice and Empowerment	Member;
(m)	Secretary to the Government in-charge of the Department of Labour	Member;
(n)	Director, Prosecution	Member;
(o)	Director, Litigation, State Legal Service Authority	Member; and
(p)	Director General of Prisons	Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department

and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The State Advisory Board for Prisons shall meet at least once in six months.

(4) The procedure in regard to transaction of business at the meetings including the quorum shall be such as may be prescribed.

(5) The State Advisory Board for Prisons shall forward its advice in the manner as may be prescribed to the Government.

CHAPTER XV

Miscellaneous

65. Prohibition of strikes etc.- No person employed in the prison shall have any right to form any union or join any such union either inside or outside the prison for any purpose or for making or pressing any demands to strike or start or continue any agitation inside the prison for achieving any request or demand.

66. Measures to prevent and control emergency situations.- (1) It shall be the responsibility of the Superintendent to take sufficient measures for preventing and controlling emergency situations in prison, in conformity with the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005) and any other Act, that may be relevant and all other instructions or orders issued by the competent authority from time to time, it.

(2) Suitable action shall be taken according to the requirements in cases of other emergencies as well. The Superintendent shall report the circumstances to the Director General. A contingency plan should be in place at every prison to tackle any emergency situation such as attacks and similar situations. Senior officers shall review such contingency plans during their visits or inspections.

67. Exercise of powers of Superintendent and Medical Officer.- All or any of the powers and duties conferred and imposed by this Act on a Superintendent or Medical Officer may in his absence be exercised and performed by such other officer as the Government may appoint in this behalf either by name or by his official designation.

68. Reward and Recognition.- The Government shall, for maintaining the necessary level of quantitative and qualitative competence of the staff of the prisons, evolve a system of reward, recognition and appreciation for meritorious services as may be prescribed.

69. Staff Welfare Fund.- A welfare fund for the members of the staff and their families may be created for providing amenities to them. Creation and manner of operation of the fund shall be such as may be prescribed.

70. Protection of action taken in good faith.- No suit or other legal proceeding shall lie against the Government or officers of the Prison or officers at Prison Headquarters in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rules or orders made thereunder.

71. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

72. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

73. Power to make regulations.-The Competent Authority may, with the previous approval of the Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules for carrying out the purposes of this Act.

74. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.

75. Exhibition of copies of rules.- Copies of rules, regulations and notifications under this Act shall be exhibited, both in English and in Hindi, in some place to which all prisoners, and persons employed within a prison, have access.

76. Repeal and savings.- (1) The Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894) in its application to the State of Rajasthan and the Rajasthan Prisoners Act, 1960 (Act No. 39 of 1960) are hereby repealed.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the enactment so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken (including any appointment or delegation made, notification, order, direction or notice issued, regulations or rules made) by or under the provisions of this repealed enactment shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this Act, and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Prison administration is an important element of the criminal justice system in India. Though, the foundation of the contemporary prison administration in India was laid during the British period, the system has drastically changed over the years. Apart from the principles embodied in the fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution of India, new ideas and correctional practices in various countries have considerably influenced the texture of prison reforms in the country.

The administration and management of prisons and prisoners have been so far performed as per the provisions in the Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894) and the Rajasthan Prisoners Act, 1960 (Act No. 39 of 1960). These Acts were subjected to so many amendments and modifications in the course of time. Some provisions in the said Acts have become obsolete and not enforceable by law. The said legislations were made to confine the convicted prisoners in custody and punishing or retreat them from committing offences in future.

Prison reforms in India have been a much debated subject matter and the point of discourse for many committees appointed by the Government of India as well as the State Government, but the ground level situation remained gloomy and stagnant. The international community also press upon for minimum prison standards and promotion of human rights of prisoners. The present day penology centres around imprisonment as a measure of rehabilitation of offenders, the prisons are no longer mere detention houses for the offenders but they seek to reform inmates for their future lives.

Having convinced that steps are necessary to raise the standards of prisons, to keep the prisoners in safe custody, treat them mercifully, to impart them skill development and vocational training, to arrange welfare and correctional activities in prisons and to ensure their rehabilitation, the State Government considered it necessary to make a comprehensive legislation in the matter.

The proposed legislation apart from consolidating the law relating to prisons and prisoners under a single umbrella provides for reformatory provisions, entitlement of basic human rights to prisoners, constitution of Board of Skill Development Programmes and Vocational Training for prisoners, appointment of a State Advisory Board for prisons for advising the State Government on matters relating to the management of prisons.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

टीकाराम जूली,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and the Competent Authority to make regulations, with respect to matters noted against each such clause:-

Clauses	With respect to State Government (Rules)
2(o)	prescribing prohibited article which cannot be introduced or removed into or out of prison;
6	prescribing eligibility for convicted criminal prisoners;
7	prescribing for establishment of temporary work camps for criminal prisoners sentenced to less than three years of rigorous imprisonment with or without fine;
10	prescribing the duties to be performed by the officers subordinate to the Jailor;
14(e)	prescribing other records to be kept or cause to be kept by the superintendent;
15	prescribing duties to be performed by Medical Officer;
21(3)	prescribing the form and manner in which record for admission of prisoners be maintained;
32(2)	laying down the procedure for opportunity of presenting his defence for punishment;
34(1)	prescribing the details of entries in punishment book;
39	directions given by the Medical Officer or Medical Subordinate in relation to any prisoner to be entered in other record;
43(1)	prescribing the facility of writing number of letters to his relatives and friends for a prisoner;
44(C)	prescribing reasonable restrictions subject to which every person be detained in prison, (i) prescribing friends to whom the person have to the right to communication, (iii) prescribing communication media through which the person shall receive information about the outside world;
45	prescribing the duties of the prisoners;
46(3)	prescribing the procedure for the examination of petitions or representations followed by Grievance Redressal Committee;
47	specifying the circumstances under which concessions in sentence of imprisonment be withdrawn, forfeited or revoked;
48	making rules for remission, remission rewardable, parole and shortening of sentence;
49	stipulating the conditions for premature release of the categories of convicted prisoners;

57(1)	prescribing the restrictions subject to which convicted criminal prisoner may be employed;
63(2)	appointment of official and non-official Members for Board of visitors;
64(4)	prescribing the procedure in regard to transaction of business at the meetings including the quorum;
64(5)	prescribing the manner in which State Advisory Board for prisons shall forward its advice to the Government.
68	evolving a system of reward, recognition and appreciation for meritorious services for maintaining the necessary level of quantitative and qualitative competence of the staff of the prisons;
69	prescribing the creation and manner of operation of Staff Welfare Fund for members of the staff and their families;
72(1)	generally carrying out the provisions of this Act.
Competent Authority (Regulations)	
73	make regulations consistent with this Act and the rules for carrying out the purposes of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

टीकाराम जूली,

Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to consolidate the law relating to prisons and prisoners committed to prison custody and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.